अगस्त 1984
मूल्य : 1.50 रु०

कुरुक्षेत्र

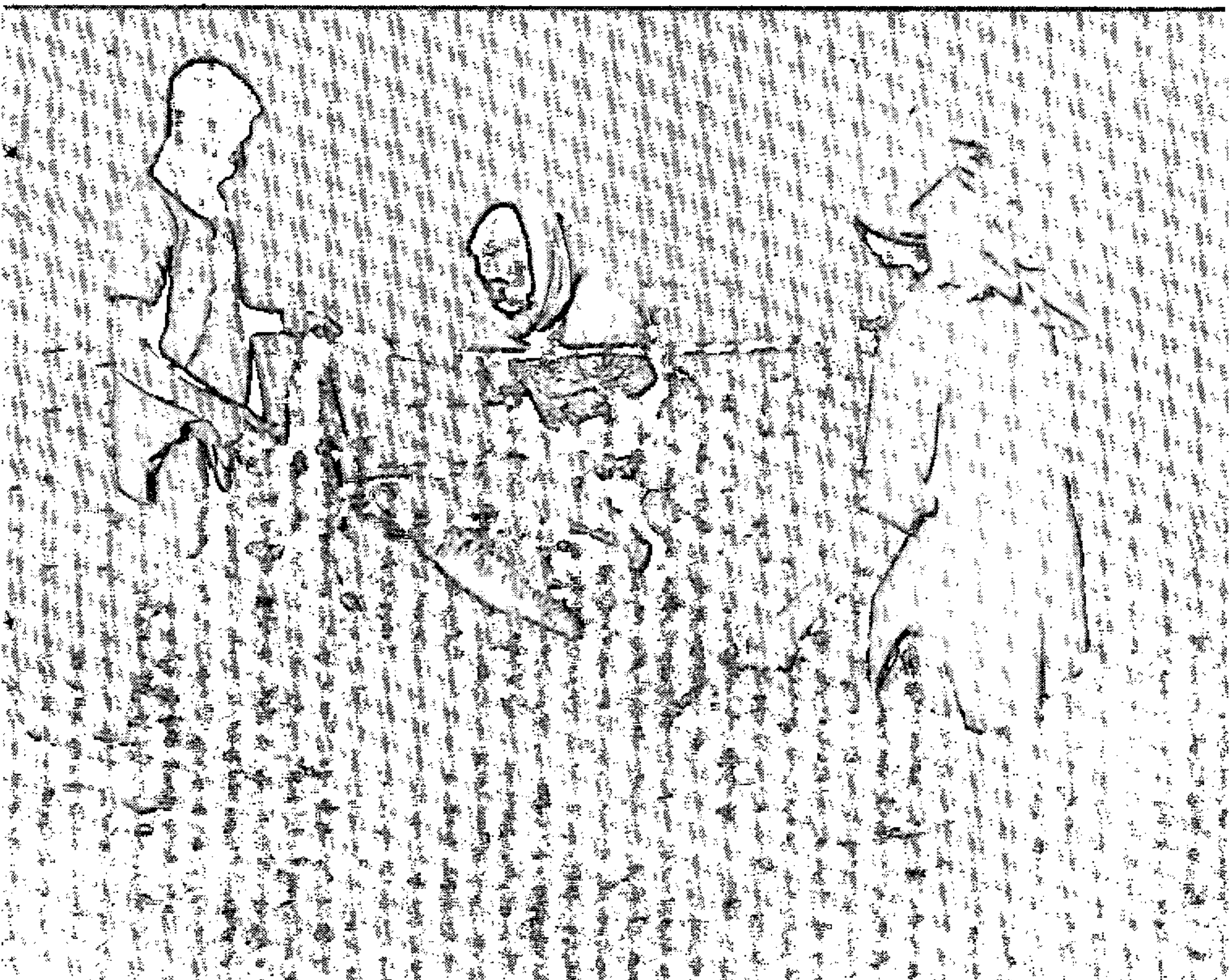

ग्रामीण मात्स्यकी विकास

संपादकीय

गांवों में सार्वजनिक एवं सामूहिक सम्पत्तियों व संगठनों की संख्या बढ़ाकर सामाजिक न्याय की सुनिश्चितता संभव

हमारे देश में और विशेषकर गांवों में निजी सम्पत्तियां अपना बहुजन हिताय का पक्ष भुलाती रही हैं। निजी क्षेत्र में जो भी उत्पादन या सृजन अथवा निर्माण और विकास होता है उसमें सुफल के लिए कार्य करने वाले सभी घटकों को उचित लाभ मिलना जरूरी है। सम्पत्ति व संसाधनों के इस भावना के अभाव में संचालन व उपयोग का परिणाम आज हमारे सामने है। देश और विशेषकर गांवों की आधी के करीब जनसंख्या निर्धनता की चक्की के पाटों के बीच पिस रही है, जिसके लिए सरकार को अपूर्व प्रयास करने पड़ रहे हैं, फिर भी पूर्ण समाधान अभी दृष्टि में नहीं है। निर्धन लोगों के लिए जो साधन जुटाए जा रहे हैं उनका भी बड़ा अंश भ्रष्ट प्रयोग के कारण पहले से वर्तमान निजी सम्पत्तियों के साथ जा मिलता है और अधिकांश गरीब फिर गरीब के गरीब बने रह जाते हैं।

प्राचीनकालीय भारत के उस समय को छोड़कर जब सभी सम्पति सार्वजनिक होती थी, समाज की होती थी और लोग अपने गुण, धर्म, स्वभाव के अनुसार एक पेशे से दूसरे पेशे में स्थानान्तरित होते रहते थे, सारे प्राचीन, परतन्त्र तथा स्वतन्त्र भारत में निजी स्वामित्व की यही कहानी रही है। उसने सार्वजनिक व सामाजिक हित की अनदेखी की है। अधिकांश सम्पन्न और शक्तिसम्पन्न व्यक्तियों ने अपने उपयोग और स्वामित्व को अनेक गुना बढ़ाया और सेवाकर्मियों को सिर्फ सेवा के लिए जिन्दा रखा और अगर अपनी उनकी (स्वामियों की) जीवन लय से जहां कर्मी जरा बाहर देखे उनका विनाश तक कर दिया।

आज भी दशा संतोषजनक नहीं कही जा सकती। यहां तक कि 4 जून, 1984 को नई दिल्ली में हुई योजना आयोग की बैठक में प्रधान मन्त्री को कहना पड़ा कि "मेरे लिए यह असहनीय बात हो गई है कि गरीबों को लाभ पहुंचाने वाली छोटी अथवा करोड़ों रुपये की लागत वाली बड़ी परियोजनाओं के लागू करने में दक्षता और ईमानदारी का इतना अभाव हो गया जिसे सहन कर पाना कठिन है। इसे दूर किया जाना ही चाहिए।" कहा जा सकता है कि निजी स्वार्थ जो निजी सम्पत्ति से बुरी तरह जुड़ा है, वही सरकारी प्रयासों को बराबर बेअसर कर रहा है। असंख्य लोगों को कृषि और उद्योगों के विकास, विस्तार और स्थापना के लिए सरकार वित्तीय सहायता देती है, इसलिए कि रोजगार बढ़ेगा और गरीबों की हालत सुधरेगी। लेकिन, अधिकांश सहायता प्राप्त करने वाले अधिक लाभ के लालच में कम से कम कर्मी लगा कर अधिक से अधिक काम, कम से कम दिहाड़ी या वेतन पर बुरी से बुरी कार्य दशाओं में कराते हैं। फलतः सम्पत्ति स्वामियों की सम्पत्ति और उपभोग तो दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहा है और गरीब समाज अपेक्षाकृत वहीं है जहां वह था।

वर्तमान दारिद्रय से निपटने के लिए कुछ मूलभूत परिवर्तनों के लागू किए जाने की बात से अधिकांशतः सहमति प्रकट की जा रही है। योजना आयोग की उपरोक्त बैठक में ही प्रधान मन्त्री ने कहा कि "हमें सामाजिक न्याय की दिशा में अधिक तेजी से बढ़ना चाहिए और सबको यह अनुभव भी होना चाहिए। इसके लिए ढांचे में यदि फेरबदल की आवश्यकता हो, उसे भी अवश्य किया जाना चाहिए।"

(शेष पृष्ठ 31 पर)

कुरुक्षेत्र

ग्रामीण विकास का प्रमुख मासिक

वर्ष 29 श्रावण-भाद्रपद 1906 अंक 10

इस अंक में | पृष्ठ संख्या

गरीबों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं में दक्षता और ईमानदारी की कमी असहनीय	2
एक गंवाड़ी ने खोजी 'शिल्पी घास' **ऋषि मोहन श्रीवास्तव**	3
ग्रामीण विकास में मछली पालन की भूमिका **गंगाशरण सैनी**	6
मत्स्य-बीज उत्पादन के लिए पालन—तालाब का प्रबन्ध **डा० सी० जे० जुनेजा**	8
छोटे-सीमांत किसानों के लिए वरदान—नील हरी काई खाद **डा० केशरी नन्दन मिश्र**	9
अनुसूचित क्षेत्रों में संदिग्ध दायित्व निवारण योजना **केदार नाथ गुप्त**	10
प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम **कृष्ण कुमार जौहरी**	12
समन्वित ग्रामीण विकास प्रोग्राम **डा० विनोद अधोलिया**	14
भंडारित अनाज की सम्भाल **राम धनी राम**	16
वापस लौटती खुशियां **बटुक चतुर्वेदी**	19
मणिपुर—बीस सूत्री कार्यक्रम **डा० गुलाब खां**	23
मात्स्यिकी अपनाइए : आय बढ़ाइए **राम शिरोमणि शुक्ल**	24
केन्द्र के समाचार	29
मत्स्य पालन उद्योग : सफलता के नए आयाम **विनोद गुप्ता**	32
हाथ—हाथ (कविता) **राम कुमार आत्रेय 'प्रभाकर'**	आवरण पृष्ठ 3

'**कुरुक्षेत्र**' के लिए मौलिक लेख, कहानी, एकांकी, कविता, संस्मरण, हास्य-व्यंग्य चित्र आदि भेजिए।

अस्वीकृत रचनाओं की वापसी के लिए टिकट लगा व पता लिखा लिफाफा साथ आना आवश्यक है।

'**कुरुक्षेत्र**' की एजेन्सी लेने, ग्राहक बनने, पता बदलने या अंक न मिलने की शिकायत, व्यापार व्यवस्थापक, प्रकाशन विभाग पटियाला हाउस, नई दिल्ली-110001 से कीजिए।

सम्पादकीय पत्र-व्यवहार : सम्पादक, कुरुक्षेत्र (हिन्दी), ग्रामीण विकास मन्त्रालय, 467, कृषि भवन, नई दिल्ली के पते पर करें।

दूरभाष : 382406

एक प्रति : 1.50 रु०
वार्षिक चन्दा : 15 रु०

व्यापार व्यवस्थापक : लेख राज बत्रा
सहायक व्यापार व्यवस्थापक : एडवर्ड बेक
सहायक निदेशक (उत्पादन) : आर० एस० मुजाल

सम्पादक : जयन्त जहांगीर सिंह
उपसम्पादक : राधे लाल
आवरण पृष्ठ : मेघजी परमार

गरीबों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं में दक्षता और ईमानदारी की कमी असहनीय

सातवीं योजना के प्रति दृष्टिकोण पर विचार-विमर्श करने के लिए बुलाई गई योजना आयोग की बैठक में प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने कहा कि सातवीं योजना में रोटी, काम, उत्पादन हमारा लक्ष्य होना चाहिए । हमें सामाजिक न्याय की दिशा में इतनी तेजी से बढ़ना चाहिए कि सबको इसका असर अनुभव होने लगे । इसके लिए ढांचे में यदि फेर बदल की आवश्यकता हो तो उसे भी अवश्य किया जाना चाहिए ।

श्रीमती गांधी ने कहा कि यहां रोजगार की स्थिति परिवर्तनशील है । उत्पादक रोजगार से उत्पादन बढ़ने के साथ ही निरन्तर आय भी बढ़ेगी । बुनियादी तौर पर हमारी यह आशा रही है कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में विकास के साथ ही रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे । लेकिन अब हमारे पास एक ऐसा आधार है जिसे लेकर हम ज्यादा प्रत्यक्ष रूप से बेरोजगारी की समस्या से निपट सकते हैं । उन्होंने कहा कि रोजगार के अधिक से अधिक अवसर पैदा करने के लिए विकास का एक ढांचा तैयार किया जाना चाहिए । उन्होंने कहा कि अगर हम इसे सातवीं योजना का सबसे प्रमुख उद्देश्य बना सकें तो हम योजना की प्रक्रिया में व्यापक रूप से लोगों का विश्वास जमा सकेंगे ।

प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम आदि कार्यक्रमों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने पर अवश्य जोर दिया जाना चाहिए। लेकिन इन कार्यक्रमों पर कारगर ढंग से अमल करने के लिए इन पर तन मन से नजर रखी जानी चाहिए और इससे संबंधित योजना तथा संगठन को और सुदृढ़ बनाया जाना आवश्यक है ।

उन्होंने कहा कि गैर मुद्रास्फीतिकारी रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए कृषि उत्पादन, विशेषकर अनाज के उत्पादन को अधिक से अधिक बढ़ाया जाना चाहिए। उत्पादन की क्षमता और वास्तविक उपलब्धि के बीच काफी बड़ा अन्तर है और यह अन्तर उन क्षेत्रों में है जहां गरीबी बहुत ज्यादा है । अतः कम उत्पादकता वाले क्षेत्रों की पूरी क्षमता का उपयोग करने और चावल, मोटा अनाज, तिलहन और दाल आदि फसलों की उत्पादकता में तेजी से वृद्धि लाने पर जोर दिया जाना जरूरी है ।

श्रीमती गांधी ने कहा कि अब कृषि के क्षेत्र से ही बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करने होंगे, लेकिन औद्योगिक क्षेत्र की क्षमता को भी कम नहीं आंका जा सकता । उन्होंने कहा कि अन्ततः गरीबी को समाप्त करना तेज औद्योगीकरण के साथ अनिवार्य रूप से जुड़ा हुआ है । वर्तमान क्षमता के बेहतर उपयोग के जरिए तेजी से विकास करने की काफी गुंजाइश है । उन्होंने कहा कि हमें अपनी प्रोद्योगिकी को आधुनिक और उन्नत बनाने की दिशा में और अधिक साहस के साथ आगे बढ़ना होगा ताकि उत्पादन में कई गुना वृद्धि हो सके । उत्पादन की वर्तमान सुविधाओं का विस्तार भी विकास की उच्च दर प्राप्त करने में सहायक होगा ।

प्रधानमंत्री ने कहा कि आज जबकि विकासशील देशों में भी प्रौद्योगिकी का तेज गति से विकास हो रहा है, बड़ी तेजी से उच्च प्रौद्योगिकी के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भारत का पिछड़ना देश के हित में नहीं होगा । संसाधनों के कुशल और उत्पादक उपयोग के लिए नए नीति संबंधी प्रोत्साहनों की आवश्यकता है । प्रतिस्पर्धा के अभाव से हमें काफी नुकसान पहुंचा है ।

प्रधान मंत्री ने कहा कि निजी उद्योगों ने अब तक सरकारी धन तथा सुविधाओं का उपयोग निजी लाभ कमाने के लिए किया है और उनका निजी लाभ बहुत बढ़ा है। इस प्रकार उत्पादन वृद्धि के साथ सामाजिक न्याय बहाल करने की सरकार की नीति को और उससे संबद्ध लक्ष्यों को धक्का लगा है । इस लिए क्षमता प्रतिस्पर्धा और आधुनिकीकरण पर जोर देने वाली नई नीति के बनाने का उचित समय आ गया है।

उन्होंने कहा कि हमें सातवीं योजना में कुछ क्षेत्रों के लिए व्यापक प्रौद्योगिकी के विकास की योजनाएं शुरू करनी चाहिए । पिछले अनुभवों के आधार पर हम विकास विस्तार कर सकते हैं ।

प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि असंतोषजनक आकांक्षाओं के कारण हमारी सामाजिक और राजनीतिक प्रणाली पर गंभीर दबाव पड़ता है। अनुशासन समय की मांग है और हमारे लोगों को इसके लिए तैयार रहना चाहिए।

श्रीमती गांधी ने आगे कहा कि आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लक्ष्यों को पूरा करते समय हमने सामाजिक न्याय की प्रेरणा और मूल्यों की उपेक्षा की है। हमारे प्रशासकीय और प्रबंधकीय वर्ग व्यापक सामाजिक लक्ष्यों के निन्दक हो जाते हैं।

उन्होंने कहा कि मेरे लिए यह असहनीय बात हो गई है, कि गरीबों को लाभ पहुंचाने वाली छोटी अथवा करोड़ों रु० की लागत वाली बड़ी परियोजनाओं के लागू करने में दक्षता और ईमानदारी का इतना अभाव हो गया है जिसे सहन कर पाना कठिन है। इसे दूर किया जाना ही चाहिए।

उन्होंने कहा कि जो दृष्टिकोण सामाजिक समस्या के प्रति ध्यान आकर्षित नहीं कराता तथा जिससे बेहतर परिणामों के लिए योजना बनाते समय हमारे प्रबंध और प्रशासनिक तंत्र में जरूरी ठोस और सुनिश्चित बदलाव नहीं आता, तो वह दृष्टिकोण अधूरा है।

श्रीमती गांधी ने कहा कि नयी योजना हमें अपने अतीत का विश्लेषण करने और प्राप्त अनुभवों से सीखने, सफलताओं एवं विफलताओं पर विचार करने का अवसर प्रदान करती है। उन्होंने कहा कि सातवीं योजना के दृष्टिकोण संबंधी दस्तावेज के तीन उद्देश्य हैं – विकास, समानता और सामाजिक न्याय। सातवीं योजना के मार्ग निर्देशक सिद्धान्तों के रूप में आत्म निर्भरता और बेहतर कार्यकुशलता एवं उत्पादकता अनिवार्य हैं। हम इसी बात पर हमेशा से जोर देते आए हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि दृष्टिकोण संबंधी दस्तावेज में रोजगार और गरीबी उन्मूलन पर और अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। ☐

एक गंवाड़ी ने खोजी 'शिल्पी घास'

ऋषि मोहन श्रीवास्तव

श्री त्रिलोक राम जिला अल्मोड़ा के बल्टा ग्राम के निवासी हैं। ये प्राथमिक पाठशाला में प्रधानाध्यापक भी हैं। इन्हें बचपन से ही तरह-तरह के पत्थरों एवं जड़ी-बूटियों के संग्रह करने का शौक रहा है।

भारतीय कृषि व पशु चारे के इतिहास में श्री त्रिलोक राम ने एक ऐसी घास खोज निकाली है जो सबसे अधिक प्रोटीनयुक्त एवं पौष्टिक है। विवेकानन्द कृषि अनुसन्धान शाला (भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की इकाई) एवं भारतीय-जर्मन कृषि विकास परियोजना (इगाडा) के कृषि एवं रसायन विशेषज्ञों ने, श्री त्रिलोक राम नामक इस "गंवाड़ी" द्वारा खोजी गई 'शिल्पी घास' को मान्यता प्रदान की है। घास का नाम सन् 1966 में एक शिल्पी जाति पर 'शिल्पी' रखा गया है।

श्री त्रिलोक राम बताते हैं कि "दुधारू जानवरों के लिए मैंने इस घास को अपने बगीचे एवं खेत में लगाया, एक माह में ही फूल आने लगे। मैंने इस घास की पौध अन्य स्थानों पर भी लगायी। जब घास का उत्पादन काफी मात्रा में हो गया, तो मुझे लगा कि यह घास पशुओं को खिलाई जाए। मैंने देखा कि मेरे दुधारू चौपाए इस घास को खाने के बाद एकदम से हृष्ट-पुष्ट हो गए। दुधारू जानवरों के दूध की मात्रा भी बढ़ गई।"

शिल्पी घास के परीक्षण एवं अनुसंधान के बाद त्रिमुखी वन खेती योजनान्तर्गत 'शिल्पी' घास के खोजकर्त्ता श्री त्रिलोक राम को जो शोधपत्र एवं मान्यता-पत्र दिया गया है, उसमें लिखा है—"श्री त्रिलोक राम ने पशु चारे के लिए भारतीय-घासों में एक नई प्रकार की 'शिल्पी घास' खोज निकाली है, इसका विकास होने पर पशुओं को पौष्टिक चारा मिल सकेगा।"

43 वर्षीय त्रिलोक राम का कहना है कि उन्हें प्रकृति-मां अनेक सुन्दर एवं मानवोपयोगी वस्तुएं अपने-आप दिखा रही है।

शिल्पी घास को खोजने वाला यह 'गंवाड़ी' लगभग पन्द्रह वर्षों से इस क्षेत्र में सूक्ष्म एवं गहन परीक्षण करता रहा है। शिल्पी घास मुख्य रूप से चार प्रकार की पाई गई हैं जिनमें प्रोटीन का प्रतिशत निम्न प्रकार से है:—

शिल्पी घास	नाइट्रोजन	प्रोटीन
1	2.93%	18.31%
2	3.98%	24.88%
3	1.80%	11.25%
4	2.09%	13.05%

इसमें से पहली तीन किस्में बारहमासी हैं और चौथी किस्म मौसमी है, जो जाड़ों के अलावा नहीं लगती। शिल्पी घास की विशेषता यह है कि बालू के अतिरिक्त कहीं भी उत्पन्न हो सकती है। श्री त्रिलोक राम स्वयं एक कृषक हैं जो अल्मोड़ा के पर्वतीय अंचल में रहते हैं। उनके मन में सदैव यह बात उठती रही कि पर्वतीय पशुओं के लिए सर्वोत्तम-घास उत्पन्न की जाए और अपने इसी प्रयत्न में सीमित आर्थिक-संसाधनों के बावजूद उन्होंने 'शिल्पी घास' जैसी महत्वपूर्ण खोज कर डाली। ☐

16 वर्मा लेन,
दतिया (मध्य प्रदेश)

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम

मासिक रिपोर्ट

उपलब्ध सूचना के अनुसार 1983-84 के दौरान 36.35 लाख लाभ भोगियों को सहायता दी गई है। इनमें से 14.67 लाख लाभ भोगी (40.4 प्रतिशत) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों के हैं।

समीक्षाधीन अवधि में कर्नाटक, उड़ीसा, जम्मू व कश्मीर, पांडिचेरी तथा लक्षद्वीप राज्यों की राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र स्तरीय समन्वय समितियों की बैठकें विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों की राजधानियों में हुई थीं। जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों की वार्षिक कार्य योजनाओं का, जहां भी संभव हुआ, अनुमोदन किया गया और समन्वित ग्रामीण विकास की प्रगति की विवेचनात्मक समीक्षा की गई।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम

चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इस कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को अब तक 1,63,285 मीटरी टन खाद्यान्न बंटित किया गया है।

ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम/ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम की केन्द्रीय समिति की एक बैठक 14 मई 1984 को हुई थी, जिसमें 7758.725 लाख रुपये की लागत वाली 37 परियोजनाएं अनुमोदित की गई थीं।

प्रशिक्षण कार्यक्रम

समीक्षाधीन अवधि में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद द्वारा निम्नलिखित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए थे :—

(i) एन० एस० एस० समन्वयकर्ताओं के लिए ग्रामीण विकास पर विषय-परिचायक पाठ्यक्रम।

(ii) ग्रामीण प्रलेखन पर एक कार्यशाला।

(iii) क्षेत्रीय केन्द्र, गौहाटी में महिला ए० पी० ओ० के लिए लघु (माइक्रो) स्तरीय आयोजना पर दो पाठ्यक्रम।

कृषि विपणन-

विपणन तथा निरीक्षण निदेशालय ने निम्नलिखित प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का आयोजन किया :-

(1) हैदराबाद और लखनऊ में मण्डी सचिवों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम। इन पाठ्यक्रमों में विभिन्न राज्य सरकारों, विपणन बोर्डों तथा मंडी समितियों द्वारा प्रायोजित उम्मीदवारों ने भाग लिया था।

(2) महाराष्ट्र की मण्डी समिति के अधिकारियों के लाभार्थ आजादपुर मंडी, दिल्ली में फल और सब्जियों से संबंधित मण्डी सूचना एकत्र करने तथा उसका प्रसार करने हेतु 3 से 9 मई, 1984 तक एक सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम।

अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग

इस मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री सत्य प्रकाश विश्नोई को नेपाल में 14 से 24 मई, 1984 तक आयोजित "शिक्षा और समन्वित ग्रामीण विकास" की अनुसंधान संगोष्ठी में भाग लेने के लिए भेजा गया था।

विविध

इस मंत्रालय ने 7 से 12 मई, 1984 तक विज्ञान भवन, नई दिल्ली में अन्तर्राष्ट्रीय कृषि उत्पादक संघ के 26 वें सामान्य सम्मेलन के अवसर पर एक प्रदर्शनी लगाई, जिसमें ग्रामीण निर्धनता को दूर करने की भारत सरकार की गतिविधियों को दर्शाया गया था। □

पौधा लगाया था जिन्होंने, वे नहीं मौजूद हैं, पानी लगाया था जिन्होंने, वे भी किनारा कर गए। फूल आए, फल लगे पर चखने वाले और हैं। ए! चखने वालो फल चखो, पर पौधे को जर-जर ना करो।

महेन्द्र पाल सिंह

मत्स्य उद्योग के विकास में तेजी लाने के लिए राष्ट्रीय मत्स्य निगम

कार्यशाला का उद्‌घाटन

सरकार ने एक राष्ट्रीय मत्स्य निगम गठित करने का निर्णय लिया है। यह निगम मत्स्य उद्योग के सामने आने वाली कठिनाइयों का निराकरण करके उद्योग के उचित विकास को सुनिश्चित करेगा। केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री राव वीरेन्द्र सिंह ने मत्स्य पालन पर एक कार्यशाला का उद्‌घाटन करते समय यह सूचना दी। कार्यशाला में योजना आयोग, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् एवं कृषि मंत्रालय के प्रतिनिधियों के अतिरिक्त विभिन्न राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों के मत्स्य पालन विभागों के सचिवों एवं निदेशकों ने भी भाग लिया।

श्री राव ने कहा कि हमें मछुआरों के हितों की पूरी तरह रक्षा करने की आवश्यकता है। गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए काम आने वाले जहाज और ट्रालर, अक्सर साधारण एवं स्व-चालित नौकाओं के लिए आरक्षित क्षेत्र को अतिक्रमण करके गरीब मछुआरों के हितों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए समुद्र तट से 10 किलोमिटर की दूरी तक का क्षेत्र साधारण नौकाओं के लिए तथा 23 किलीमीटर तक का क्षेत्र स्वचालित नौकाओं के लिए आरक्षित करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने मछुआरों को दी जा रही अल्प एवं अपर्याप्त वित्तीय सहायता पर चिन्ता प्रकट की तथा सुझाव दिया कि और अधिक सहायता देने के लिए मछुआरों को अनुसूचित जन जाति के स्थान पर अनुसूचित जाति के वर्ग में रखा जाना चाहिए।

कृषि मंत्री ने वर्ष 1983-84 में मछलियों के लगभग 26 मी० टन के रिकार्ड उत्पादन पर प्रसन्नता व्यक्त की। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अभी इस क्षेत्र में बहुत कुछ करना बाकी है। उन्होंने कहा कि एक बार 25 लाख मी० टन उत्पादन का स्तर पार कर लेने पर उत्पादन बढ़ाने की दिशा में और अधिक शक्ति तथा दृढ़ता से आगे बढ़ना संभव हो सकेगा। मंत्री महोदय ने अन्तर्देशीय जल में मछली पकड़ने के क्षेत्र में अच्छे कार्य निष्पादन के लिए पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश तथा समुद्र से मछली पकड़ने के लिए आंध्र प्रदेश और केरल को बधाई दी।

उन्होंने कहा कि मत्स्य पालन अभी तक एक उपेक्षित क्षेत्र रहा है। इस क्षेत्र की अपार क्षमता का पूरा लाभ उठाना शेष है। यदि इस क्षमता का ठीक तरह से समन्वित रूप से पूरा लाभ उठाया जाए तो जलाशय, झीलों और नदियों के रूप में फैले हुए अन्तर्देशीय मत्स्य क्षेत्र मछली उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। अपेक्षित लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से सातवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल करने के लिए विशेष योजनाएं बनायी जानी चाहिएं।

मंत्री महोदय ने कहा कि छोटी मछलियों को सुरक्षित रखने के लिए पकड़ी जाने वाली मछलियों का आकार विशेष रूप से निश्चित किया जाना चाहिए। मछलियों के सही विकास तथा मात्रा में वृद्धि के लिए समय-समय पर कुछ समय के लिए मछली पकड़ने पर रोक भी लगायी जानी चाहिए। युवकों को भी कोचीन या देश के अन्य भागों में स्थित संस्थानों में उपलब्ध प्रशिक्षण सुविधाओं का लाभ उठाना चाहिए। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत 18 माह के लिए 250 रु० प्रतिमाह की छात्रवृत्ति के साथ ही प्रशिक्षणार्थियों को लाभकारी रोजगार भी दिलाया जाता है। श्री राव वीरेन्द्र सिंह ने देश के उत्तरी और पूर्वी क्षेत्र के युवकों में इस व्यावसायिक प्रशिक्षण के प्रति रुचि न होने पर चिन्ता व्यक्त की और कहा कि समुद्र में मत्स्य पालन से युवकों को एक अच्छा व्यवसाय मिल सकता है।

राव वीरेन्द्र सिंह ने कहा कि बड़े औद्योगिक घरानों को भी मत्स्य उद्योग के साथ सम्बद्ध किया जा सका है। वानिकी की तरह ही अधिक उत्पादन तथा प्राविधिक संयंत्रों द्वारा मत्स्य पालन के विकास हेतु उन्हें पट्टे जैसी सुविधाएं दी जा सकती है। उन्होंने मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन के ढांचे में सुधार करके इसे विवेकसम्मत बनाने को कहा।

कृषि मंत्री ने उद्योग के समन्वित विकास के लिए राज्य मत्स्य पालन निगमों के एक संघ की स्थापना का सुझाव दिया। संघ, राज्यों को अपनी समस्याओं पर विचार विमर्श करने के लिए एक मंत्र प्रदान करेगा तथा वे अपने अनुभवों से एक दूसरे का दिशा निर्देश करेंगे। उन्होंने अन्तर-राज्यीय विवादों के निबटारे के लिए आयोगों के गठन की परम्परा का विरोध किया। उन्होंने कहा कि सभी विवादों को आपसी बात-चीत से सुलझाया जाए। उन्होंने यह सलाह भी दी कि मत्स्य पालन को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में रखा जाए।

राव वीरेन्द्र सिंह ने राज्य सरकारों द्वारा सीधे विदेशों से सहयोग के अनुबंध करने का विरोध किया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के समझौते, केन्द्र सरकार के द्वारा किये जाने चाहिए ताकि केन्द्र सरकार राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए राज्यों को हर संभव सहायता प्रदान कर सके। □

ग्रामीण विकास में मछली पालन की भूमिका

गंगाशरण सैनी

यह एक कटु सत्य है कि भारत गांवों का देश है। 80 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में रहती है, जो कृषि और अन्य सहायक उद्योग धन्धों से अपनी जीविका कमाती है। देश की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है, जिस के कारण भूमि की उपलब्धता प्रति व्यक्ति घटती जा रही है और बेरोजगारी भी बढ़ती जा रही है। ग्रामीण-युवक रोजगार की तलाश में शहरों में आ रहे हैं, जिस के कारण शहरों की जनसंख्या में भी बढ़ोतरी स्वाभाविक है। जन संख्या की बढ़ोतरी के कारण शहरों में अनेक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं।

गांवों में बढ़ती जनसंख्या के कारण लोगों को पौष्टिक भोजन तक भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण वे अनेक रोगों से ग्रसित हो रहे हैं। प्रोटीन की उचित मात्रा उन्हें न मिलने के कारण उनके स्वास्थ्य और मानसिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। अतः जिन ग्रामीण क्षेत्रों में तालाब उपलब्ध हैं अथवा जहां पर तालाबों के लिए स्थान उपलब्ध हो और पानी का साधन हो, वहां पर मछली पालन का कार्य शुरू कर के आय में बढ़ोतरी की जा सकती है। यदि मछली खा सकते हैं, तो ठीक यदि नहीं, तो आप अपने भोजन में घी, दूध आदि का सेवन कर के संतुलित भोजन खा सकते हैं, और मछली उद्योग को अपना कर लाभ कमा सकते हैं। अतः प्रस्तुत है मछली पालन सम्बन्धी आवश्यक जानकारी :—

तालाब का चुनाव

मछली पालन की सब से पहली और महत्वपूर्ण आवश्यकता है, तालाब का चुनाव। आमतौर पर ग्रामीण जन इस व्यवसाय को अपनाने के समय इस ओर तनिक भी ध्यान नहीं देते हैं, जिसके कारण उन्हें इच्छित लाभ नहीं मिल पाता है। तालाब का चुनाव करते समय विशेष रूप से निम्न बातों का ध्यान रखना अनिवार्य है :—

- तालाब के लिए ऐसी जगह चुननी चाहिए जहां कि मिट्टी चिकनी हो। रेतीली मिट्टी तालाब के लिए उपयुक्त नहीं रहती क्योंकि उस में पानी नीचे तीव्र गति से रिस जाता है। इसलिए उसमें पानी जल्दी-जल्दी भरने की आवश्यकता होती है।
- तालाब में पानी भरने का स्थायी प्रबन्ध होना अत्यन्त आवश्यक है। पानी के आगमन व निकासी स्थानों पर जालियां लगी होनी चाहिए।
- तालाब का स्थान मुख्य मार्ग के समीप चुनना चाहिए, ताकि उससे उत्पादित मछलियों की बिक्री जल्दी और सुगमता से की जा सके।
- तालाब का आकार न तो अधिक बड़ा होना चाहिए और न अधिक छोटा होना चाहिए। परीक्षणों से पता चला है कि मछलियों की अधिक पैदावार लेने के लिए 1/2 हैक्टेयर से कम क्षेत्र का तालाब न हो।
- पानी और मिट्टी का पी० एच० (क्षारांक) 6.5 से 8.5 के बीच होना चाहिए।
- पानी का भारीपन 5 से 22 पी० पी० एम० के बीच होना चाहिए।
- तालाब में नाइट्रोजन व फास्फेट नामक पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने चाहिए।
- तालाब के चारों ओर बाड़ (फैंसिंग) लगी होनी चाहिए।

मछली का बीज डालने से पूर्व तैयारी

तालाब के चुनाव के बाद मछली पालन में दूसरा प्रमुख कार्य यह है कि तालाब में मछली का बीज डालने से पूर्व उसकी तैयारी की जाए। आमतौर पर ऐसा देखा गया है कि ग्रामीण क्षेत्र के मछली पालक बीज को बिना किसी तैयारी के तालाब में डाल देते हैं। अतः उन्हें कम पैदावार मिलती है। मछली का बीज डालने से पूर्व तालाब की तैयारी निम्न प्रकार से करनी चाहिए :—

- तालाब से सभी प्रकार के पौधों को निकाल देना चाहिए अन्यथा मछलियों के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
- अनावश्यक एवं मांसाहारी मछलियों को मारने के लिए टैफड्रीन-20 नामक दवा का उपयोग निम्न प्रकार करना चाहिए :

  टैफड्रीन-20 (मि० ली०) तालाब के पानी का आयतन × 0.05

चूंकि यह एक तकनीकी कार्य है, जिसे साधारण व्यक्ति स्वयं नहीं कर सकता है। अतः मछली पालक को चाहिए कि वह समीप के मछली विभाग के किसी अधिकारी से सम्पर्क स्थापित करके इस कार्य को पूरा कर ले।

- तालाब की मिट्टी की जांच करवाना भी बहुत जरूरी काम है, ताकि उस की अम्लीयता के अनुसार चूने की उचित मात्रा का पता लग जाए। कैल्सियम की उपलब्धि के लिए और पानी की अम्लीयता का उचित स्तर बनाए रखने के लिए तालाब में चूना डालना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे कि चूने को खाद डालने के 15 दिन बाद डालना चाहिए।

विभिन्न अम्लीयता वाली मिट्टियों के लिए चूने की दी जाने वाली मात्रा निम्न तालिका* के अनुसार डालें :—

मिट्टी का पी० एच०	मिट्टी की अवस्था	चूने की दी जाने वाली मात्रा-कि० ग्रा० प्रति हे०
4.0—4.5	अति अम्लीय	1000
4.5—5.5	मध्यम	700
5.5—6.5	मंद मध्यम	500
6.5—7.0	उदासीनता के करीब	200

*हरियाणा खेती अंक फरवरी 1984 पृष्ठ 22 से साभार ।

- बीज डालने से पहले तालाब में खाद एवं उर्वरक डालें। 10,000 कि० ग्रा० जैविक खाद पहले डालें और उसके 15 दिन बाद 600 कि० ग्राम एन० पी० के० (18:8:4) का मिश्रण डालें । दोनों 7–11 किश्तों में डालना चाहिए।
- चूने के इस्तेमाल के बाद तालाब में पानी भर देना चाहिए।

मछली का बीज डालना

उपरोक्त क्रियाओं को भली भांति पूरा करने के बाद मछली का बीज तालाब में डालना चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि कौन सी किस्म की मछली का बीज तालाब में डाला जाए। इसके लिए आप को मछली विभाग के अधिकारी से सम्पर्क करना उत्तम रहेगा। वह वहां के क्षेत्र के लिए उस उपयोगी किस्म के बारे में बताएगा जिस से आप अधिक पैदावार ले सकें। आमतौर से उत्तर भारत में रोहू, कतला, ग्रास कार्प, कामन कार्प, सिल्वर कार्प आदि नामक मछलियों का बीज अधिक पैदावार के लिए उपयोग में लाया जाता है। एक हैक्टेयर क्षेत्र वाले तालाब के लिए 10,000 बीज पर्याप्त होते हैं। ध्यान रहे कि इस से अधिक या कम बीज तालाब में न डालें।

मछली का बीज डालने के बाद

कम समय में बिक्री योग्य मछली तैयार करने के लिए सब से महत्वपूर्ण बात यह है कि उन के लिए तालाब में कृत्रिम भोजन की व्यवस्था की जाए, जिसकी ओर साधारणतया ग्रामीण मछली उत्पादक ध्यान नहीं देते हैं, जिसके कारण उन्हें मछलियों की कम पैदावार मिलती है। 'ग्रास कार्प' नामक मछली को छोड़ कर शेष अन्य सभी मछलियों के लिए किसी भी खाने योग्य तेल की खली तथा चावल का छिलका बराबर की मात्रा में मिला कर तालाब में प्रति दिन डालना चाहिए। भोजन की मात्रा तालाब में मछलियों के भार का 1–5 प्रतिशत होना चाहिए।

तालाब में पल रही मछलियों की बढ़ोतरी की जानकारी प्राप्त करने के लिए, प्रति माह या 15 दिन बाद जाल डाल कर देखना चाहिए और उनकी बढ़ोतरी का ब्यौरा तालाब से सम्बन्धित पुस्तिका में लिखना चाहिए ताकि मछली पालक को इस बात का पता लग सके कि तालाब की मछलियां कब बिक्री के लिए तैयार हो जाएंगी।

तैयार मछलियों को निकालना

सामान्यतः बीज से बिक्री योग्य मछलियां तैयार होने में लगभग एक वर्ष लग जाता है परन्तु कुछ किस्मों की मछलियां 6 से 9 महीने में ही तैयार हो जाती हैं। जब वे तैयार हो जाती हैं, तब उन्हें जाल की सहायता से निकाल लेना चाहिए। तालाब से जितनी मछलियां निकाली जाएं उसी किस्म की मछलियों का उतना ही बीज डाल देना चाहिए। सारी मछलियों को निकालने के बाद पहले बताई गई विधि से फिर से तालाब की तैयारी करें।

उत्पादन

यदि मछली-उत्पादक उपरोक्त वैज्ञानिक विधि को अपना-कर मछली पालन करेंगे तो वे प्रति हैक्टेयर लगभग 6000 कि० ग्राम मछली की पैदावार ले सकते हैं।

ग्रामीण तालावों में मछली पालन विकास के लिए विभिन्न प्रकार से धन व तकनीकी सहायता ली जा सकती है, जिसका उल्लेख नीचे किया गया है :—

- तालाब सुधार और नए तालाब बनवाने के लिए बैंकों से ऋण की सुविधा।
- मछली पालकों को मछली पालन में प्रशिक्षण तथा विभागीय अधिकारियों द्वारा मछली पालन योग्य जल क्षेत्रों का सर्वेक्षण।
- मछली पालकों को तालाब लम्बे समय तक पट्टे पर दिलवाना और उनका सुधार करवाना।
- मछली पालकों को 50 रुपये प्रति 1000 की दर से उत्तम किस्म का बीज दिलवाना।
- तालाबों पर तकनीकी विधि का प्रदर्शन करना।
- तालाब सम्बन्धी लाभ-हानि रिपोर्टें तैयार करना।

गांवों में मछली उत्पादन के इच्छुक लोगों को चाहिए कि वे उपरोक्त विधि से मछली पालन करें, ताकि उन्हें अधिक पैदावार मिल सके। यदि वे वैज्ञानिक विधि को अपना कर मछली पालन का धन्धा करेंगे, तो उस से उन की आय में आश्चर्यजनक वृद्धि होगी। इस से उन की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। दूसरे वहां की जनता को मछली खाने को मिलेगी, जिससे उन का स्वास्थ्य और मानसिक विकास अच्छा होगा। अन्ततः गांवों में खुशहाली का आलम छाएगा। □

1023/टाइप 4, एन० एच० 4,
फरीदाबाद-121001

मत्स्य बीज उत्पादन के लिए पालन तालाब

डा० सी०जे० जुनेजा

मछली प्रोटीन व विटामिन आदि से युक्त संतुलित व पौष्टिक आहार है। विकसित देशों में प्रति व्यक्ति इसकी औसत खपत लगभग 24 कि० ग्रा० है जबकि विकासशील देशों में यह 8 कि० ग्रा० प्रति वर्ष ही है। इसकी उपयोगिता को देखते हुए देश में मत्स्य भोजी व्यक्तियों की संख्या तो बढ़ती जा रही है, जबकि इस अनुपात में मछली का उत्पादन नहीं हो रहा है। इसका मुख्य कारण जलाशयों में संचय करने के लिए मत्स्य-बीज (अंगुलिकाओं) की कमी है। फिशसीड कमेटी (1966) के अनुसार वर्ष 1964–65 में 82.59 करोड़ अंगुलिकाओं की आवश्यकता थी जबकि उस समय इसका उत्पादन केवल 9.90 करोड़ ही था। अब दिन प्रतिदिन मछली पालन के लिए जलक्षेत्र व उसमें संचय करने के लिए मत्स्य-बीज की आवश्यकता बढ़ती जा रही है। अंगुलिकाओं के उत्पादन के लिए रेयरिंग तालाबों का उपयोग किया जाता है जो उन्हें हर प्रकार की सुरक्षा प्रदान करते हैं। दो सप्ताह की आयु में मछलियों के छोटे-छोटे बच्चे (फ्राई) शत्रुओं से अपना बचाव नहीं कर पाते। इन्हें बड़े तालाबों में संचय करने से पूर्व अंगुलिका अवस्था (70–100 मि० मी०) तक बढ़ने के लिये रेयरिंग तालाबों में वैज्ञानिक विधि से पाला जाना चाहिए।

रेयरिंग तालाब का चुनाव

रेयरिंग तालाब का क्षेत्रफल 0.08 से 0.1 हैक्टेयर तथा गहराई 1.5 से 2.0 मीटर होनी चाहिए। जहां तक संभव हो यह तालाब नर्सरी तालाब के पास बनाए जाने चाहिए जिससे मछली के छोटे बच्चों का आसानी से नर्सरी से रेयरिंग तालाबों में स्थानान्तरण किया जा सके। इन तालाबों को पानी से भरने एवं खाली करने की व्यवस्था तथा इनके लिए सुरक्षित प्रवेश व निकासी द्वारा होने चाहिए।

जलीय पौधों की सफाई

जलीय पौधे तालाब में उपलब्ध पौष्टिक पदार्थों का उपयोग अपनी वृद्धि के लिए करते हैं तथा अनावश्यक जीव जन्तुओं को आश्रय देते हैं। तालाब में मछली के छोटे बच्चे संचय करने से पूर्व ये निकाल कर नष्ट कर देने चाहिए।

अनावश्यक मछलियों का निकालना

मांसभक्षी तथा अनावश्यक जंगली मछलियां तालाब में उपलब्ध पालतू मछलियों के छोटे बच्चों के साथ शत्रुतापूर्ण व्यवहार करती हैं तथा उन्हें खा जाती हैं। इन्हें बार-बार जाल फैंकर या वनस्पति मूल के विष का प्रयोग कर निकाल देना चाहिए।

जैविक खाद डालना

तालाब में कच्चा गोबर 2,500 कि० ग्रा० प्रति हैक्टेयर के हिसाब से डालते हैं। इसे बराबर तीन हिस्सों में बांट दिया जाता है। इसकी पहली किश्त मछली का बच्चा संचय करने से 15 दिन पूर्व व बाकी खाद को शेष दो माह में प्रयोग किया जाता है।

मछली के बच्चे संचय करना

जलाशय के तैयार हो जाने पर इसमें मछली की विभिन्न चार किस्मों, कतला, रोहू, मिरगल तथा कामन कार्प के बच्चे एक निश्चित अनुपात में संचय कर, पाले जाते हैं। विभिन्न प्रयोगों द्वारा यह देखा गया है कि अगर इन्हें तीन लाख प्रति हैक्टेयर के हिसाब से संचय किया जाए तो उसमें 50–70 प्रतिशत अंगुलिकाएं प्राप्त की जा सकती हैं।

रासायनिक खाद डालना

एक हैक्टेयर तालाब में रासायनिक खाद के रूप में 140 कि० ग्रा० यूरिया व 60 कि० ग्रा० सुपर फास्फेट डालते हैं। इन्हें भी तीन हिस्सों में बांट दिया जाता है और प्रत्येक माह जैविक खाद डालने के 15 दिन पश्चात् इसकी एक किश्त तालाब में डाल दी जाती है।

अतिरिक्त खुराक डालना

खुराक के रूप में मछली के छोटे बच्चों को महीन पिसी हुई मूंगफली की खल तथा चावल की पालिश को बराबर मात्रा में मिला कर खिलाते हैं। भोजन रोजाना सुबह एक निश्चित समय पर तथा बच्चों के कुल वजन के बराबर दिया जाता है।

अंगुलिकाओं का पकड़ना

मछली के छोटे बच्चे तालाब में संचय करने के लगभग तीन माह पश्चात् अंगुलिका अवस्था में पहुंच जाते हैं जिन्हें सूती धागे से बने जाल द्वारा पकड़ लिया जाता है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि निकासी करने से दो दिन पूर्व अंगुलिकाओं को अतिरिक्त भोजन नहीं देना चाहिए अन्यथा फूले पेट होने के कारण इनके मरने की संभावना रहती है।

उपरोक्त विधि द्वारा रेयरिंग तालाब का प्रबन्ध करने पर उचित एवं स्वस्थ मत्स्य-बीज प्राप्त कर सकते हैं। इन अंगुलिकाओं को बड़े तालाबों में संचय कर मछली-उत्पादन को कई गुना बढ़ाया जा सकता है। जिससे मत्स्य कृषक एवं देश खुशहाल होगा। ☐

कृषि विज्ञान केन्द्र
राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान
करनाल, हरियाणा

छोटे-सीमांत किसानों के लिए वरदान

नील हरी-काई खाद

डा० केशरी नन्दन मिश्र

आज हमारा किसान रासायनिक खादों के ऊपर बहुत निर्भर हो रहा है किन्तु कुछ कारण ऐसे हैं कि रासायनिक खाद का विकल्प खोजना अत्यन्त आवश्यक है। कारण निम्नलिखित हैं –(1) कई कृषि वैज्ञानिकों का विचार है (जिनमें डा० नीलरतन धर प्रमुख हैं) कि रासायनिक खादों के अन्धाधुन्ध प्रयोग से जमीन की शक्ति में कमी आती है तथा लम्बे समय तक भूमि की उपजाऊ शक्ति बनाए रखने में ये खादें बाधक होती हैं।

(2) देश में रासायनिक खादों की मांग के एक तिहाई हिस्से की पूर्ति ही हो पाती है। अभी देश को 75 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हैक्टेयर चाहिए जबकि पूर्ति केवल 25 किलो-ग्राम की दर से हो पा रही है। भविष्य में भी इसकी शीघ्र पूर्ति होने की संभावना नहीं।

(3) रासायनिक खादों की कीमत दिनों-दिन बढ़ती जा रही है जिससे किसान भी परेशान हैं और जनता भी, क्योंकि, इसके कारण उत्पादन-मूल्य बढ़ता है और महंगाई भी बढ़ती है।

खोज से पता चला है कि जैविक रासायनिक उर्वरक का उत्तम विकल्प हरी काई खाद के रूप में है। चूंकि यह सस्ता भी है, इसलिए छोटे और सीमांत किसानों के सीमित साधनों के भीतर प्राप्त हो जाता है।

यह खाद प्रमुख रूप से धान के लिए तो वरदान ही है। यह खाद प्रति हैक्टेयर 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन स्थिर करने में सक्षम है, अतः इसके द्वारा बड़ी मात्रा में रासायनिक खाद की बचत की जा सकती है। भारत में 40 लाख हैक्टेयर भूमि पर धान की खेती होती है और उस में रासायनिक-खाद की बहुत जरूरत होती है। काई के माध्यम से 7 लाख टन जैव रासायनिक-खाद प्रतिवर्ष बनती है।

इसका एक लाभ और है कि जहां कृत्रिम खाद से भूमि पर क्षारीयता बढ़ती है और उत्पादन शक्ति घटती है वहीं इससे उपजाऊ शक्ति निरन्तर बढ़ती जाती है। प्रयोग द्वारा यह सिद्ध हो चुका है कि क्षारीयता 9.5 से घट कर 7.6 हो गई है तथा जैविक सड़ा गला पदार्थ 36.5 प्रतिशत से बढ़कर 59.7 प्रतिशत हो गया है। काई खाद से मिट्टी की जलग्राह्यता 40 प्रतिशत तक हो जाती है। धान की पैदावार भी बढ़कर 750 किलोग्राम से 1,000 किलोग्राम प्रति एकड़ तक हो गई है। अतः आशा है कि भविष्य में हरित क्रांति बनाए रखने के लिए इस नील हरित काई खाद का उपयोग बहुत बढ़ जाएगा और वह रासायनिक खादों का विकल्प बनेगी।

काई से खाद कैसे बनाएं

इसके लिए जुलाई से अक्तूबर तक का समय उपयोगी होता है। ऐसा स्थान चुनिए जहां सूर्य का प्रकाश और शुद्ध हवा पर्याप्त मात्रा में मिल सके – 20 वर्गमीटर की क्यारी बनाइए, इसके चारों ओर 15 सें० मी० की मेढ़ बनाइए और समतल कर लीजिए, अब इस क्यारी में साढ़े पांच मीटर × साढ़े चार मीटर पालीथीन की चादर इस तरह बिछाइए कि पूरी क्यारी ढक जाए और मेढ़ के बाहर भी आधा मीटर लटकती रहे। इसके बाद 10 सें० मी० की मेढ़ ऊपर से चारों ओर बनाइए। इस तैयार क्यारी में 40 किलोग्राम भुरभुरी मिट्टी फैला दीजिए। फिर 1 किलोग्राम सुपर फॉस्फेट, 100 ग्राम कार्बोफ्यूरान या पी० एच० सी० का चूरा, 2 किलो लकड़ी का बुरादा मिलाकर छिड़क दीजिए। अब इसमें 10 से 12 सें० मी० पानी भर दीजिए, क्यारी तैयार है।

इसके बाद इसमें नील हरी काई का मिश्रण दीजिए, यह मिश्रण इसकी कई उपजातियों से बनता है और किसी भी प्रशिक्षण केन्द्र से प्राप्त किया जा सकता है। समय-समय पर इस क्यारी में इतना पानी देते रहिए कि वह 5 सें० मी० की गहराई तक भरा रहे। 10 से 15 दिनों बाद काई दीखने लगती है और इसकी मोटी पर्त जमने लगती है। धीरे-धीरे पानी की जरूरत कम होती जाती है। 3–4 दिनों बाद काई को खुरच लीजिए, एक क्यारी से खाद की चार फसलें आसानी से ली जा सकती हैं। खुरची हुई काई को धूप में यों ही सुखा लीजिए (बालू मिलाकर भी सुखा सकते हैं) तथा पोलीथीन की थैलियों में भरकर इसे सूखी जगह रखिए, ध्यान रखिए इसे अन्य रासायनिक खादों के साथ न रखें। ढाई किलोग्राम नील-हरी काई मिश्रण से 35 किलो ग्राम खाद बनाई जाती है। यह 3 हैक्टेयर के लिए काफी है।

यदि किसान चाहे तो उन्हें यह काई मिश्रण 400 ग्राम के पैकट में 4 रुपये की दर से भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद, नई दिल्ली के बिक्री विभाग द्वारा मिल सकता है।

इसके अतिरिक्त किसान नमी के स्थानों से भी काई प्राप्त कर सकता है। कई तालाब व कुण्ड काइयों से भरे रहते हैं। यदि किसान जागरूक हो तो वह वर्षान्त में काई आसानी से बिना खर्च ही जो प्राकृतिक रूप में पैदा हुई है निकाल कर, सुखा कर रख सकते हैं। ध्यान रखिए यह व्यर्थ समझी जाने वाली काई बहुत उपयोगी पदार्थ है। □

9, महात्मा गांधी मार्ग,
गली नं० 3,
बड़वानी (म०प्र०)

अनुसूचित क्षेत्रों में संदिग्ध दायित्व निवारण योजना

केदारनाथ गुप्ता

आदिवासी क्षेत्रों में विकास के पहले दौर में अनेक प्रकार के विकास कार्यक्रम बड़े पैमाने पर शुरू किए गए हैं, जिससे विकास की गति तेज होने के साथ-साथ आदिवासियों के सामने कई समस्याएं आ रही हैं। मसलन ये शिकायतें आती रहती हैं कि कहीं ऋण मिला ही नहीं और उनके नाम पर वसूली निकाल दी गई, कहीं अदायगी हो जाने के बावजूद लेखा-जोखा ठीक नहीं किया गया और उसकी जिम्मेदारी पहले की तरह बनी रही, कभी-कभी ऐसे मामले में जिसमें कर्जा और अनुदान दोनों ही दिया गया किन्तु सही जानकारी न देने के कारण वे यही समझते रहे कि उन्हें पूरी धनराशि अनुदान में दी गई है किन्तु कुछ हिस्सा कर्जा होने के कारण एकाएक वसूली शुरू हो गई आदि-आदि। कई कार्यक्रमों में विकास विभाग अथवा एजेंसी अपना काम पूरा हो जाने पर आदिवासी पर देनदारी कायम कर देता है जबकि वास्तव में उसका लाभ आदिवासी को प्राप्त नहीं हुआ होता है। ऐसे सभी मामलों में अक्सर नियमों की उलझन के कारण स्थानीय अधिकारी उसका उचित समाधान नहीं निकाल पाते हैं। अतएव अनजाने अथवा अनचाहे दायित्वों से बचाने एवं बलशाली संस्थाओं और सरल स्वभाव के आदिवासियों के बीच के दायित्वों संबंधी विवादग्रस्त मामलों के ऊंचे स्तर पर निराकरण की व्यवस्था हेतु अनुसूचित क्षेत्र दायित्व निर्धारण नियम 1979 बना कर सम्पूर्ण अनुसूचित क्षेत्रों में लागू किया गया है। अनुसूचित क्षेत्रों में विभिन्न शासकीय एवं अर्द्धशासकीय संस्थाओं के द्वारा चलाए गए कार्यक्रमों के अंतर्गत आदिवासियों से नाना प्रकार के अनुबंधों के आधार पर आने वाले दायित्वों का निर्धारण इन नियमों के अंतर्गत किया जाता है।

किसी भी अनुबंध के अंतर्गत दायित्व निर्धारण करने में मूल बात यह होगी कि जब तक किसी आदिवासी को संबंधित कार्यक्रम से लाभ न मिलने लगे उस पर किसी प्रकार का दायित्व नहीं आना चाहिए किन्तु यदि कोई कार्यक्रम हितग्राही की बदनीयती के कारण सफल न हुआ हो तो उत्तरदायित्व हितग्राही पर ही माना जाएगा। बदनीयती सिद्ध करने का दायित्व संबंधित संस्था पर होगा। इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी संस्था और सामान्य आदिवासी के बीच किए गए अनुबंध के अनुसार यदि हितग्राही को दायित्व स्वीकार करने में कोई आपत्ति है तो उस मामले में आदिमजाति कल्याण विभाग अनिवार्यतः एक पक्षकार बन जाता है और दायित्व का निराकरण संबंधित संस्था और आदिमजाति कल्याण विभाग के बीच में निर्धारित प्रक्रिया के मुताबिक होगा।

संदिग्ध दायित्वों के निर्धारण के लिए परियोजना स्तर पर एक समिति है जिसके अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष तथा सचिव परियोजना अधिकारी रखे गए हैं। सहकारिता विभाग, कृषि विभाग, राज्य विद्युत मण्डल, केन्द्रीय सहकारी बैंक, परियोजना के अंतर्गत कार्यरत राष्ट्रीयकृत बैंकों से प्रत्येक से एक-एक सदस्य रखे गए हैं।

राज्य स्तर पर अनुसूचित क्षेत्रों में दायित्व निर्धारण की कार्यवाही की समीक्षा एवं मार्गदर्शन हेतु एक स्थायी समिति गठित की गई है जिसके अध्यक्ष, मुख्य सचिव हैं तथा संचालक, आदिमजाति कल्याण सचिव हैं। वित्त विभाग, आदिमजाति कल्याण विभाग, कृषि विभाग तथा ग्रामीण विकास विभाग के प्रतिनिधि (सचिव/विशेष सचिव) सदस्य हैं।

कोई भी आदिवासी अपने ऊपर आने वाले दायित्व के संबंध में सादे कागज पर परियोजना अधिकारी को प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर सकता है। इसके अतिरिक्त यदि आदिमजाति कल्याण विभाग अथवा किसी भी अन्य विभाग के अधिकारी को यदि यह ज्ञात होता है कि कोई दायित्व संदिग्ध है तो वह समिति के समक्ष कोई प्रकरण अथवा प्रकरणों का समूह प्रस्तुत कर सकता है। सरसरी तौर पर तथ्यों को देखकर यदि दायित्व संदिग्ध लगता है तो उसके संबंध में वसूली आदि की कार्यवाही रोकने का आदेश समिति दे देती है। प्रथम दृष्टया असंगत या संदिग्ध दायित्वों के संबंध में अंतिम निर्णय होने तक यह माना जाएगा कि आदिवासी के ऊपर कोई दायित्व नहीं है और उसे विभिन्न कार्यक्रमों के बाबत उसी प्रकार से लाभ मिलने प्रारंभ हो जाएंगे जैसे कि दायित्व शेष नहीं रहने पर मिलते हैं। संबंधित संस्था से यह अपेक्षा की जाएगी कि वह उस प्रार्थी के विरुद्ध दायित्व की राशियों को यदि आवश्यकता हो तो, अस्थाई तौर पर एक सस्पेंस एकाउन्ट में डाल दे। उन मामलों में जहां पूरी छानबीन के बाद दायित्व पूर्ण रूप से फर्जी साबित होता है वहां दायित्व निर्धारण समिति यह

निश्चित करेगी कि शासन अथवा किसी संस्था के किस कर्मचारी की गलती से संबंधित आदिवासी को अनावश्यक झगड़े में फंसना पड़ा और उसकी क्षतिपूर्ति के आदेश भी देगी।

उन मामलों में जहां कार्यक्रम एकाधिक विभागों में तालमेल न होने के कारण असफल रहता है वहां हितग्राही पर कोई त्रुटि दायित्व नहीं आएगा। इसी प्रकार जहां कार्यक्रम का लाभ किसी सामान्य बात के कारण नहीं मिला है तथा जानबूझकर त्रुटि नहीं की गई है, दायित्व नहीं आएगा। ऐसे सभी मामलों की राशि को संबंधित संस्था अपने सामान्य नियमों के अनुसार अपलेखन का प्रयास करेगी। इस कार्य हेतु एक बड़ा फंड है जिसका उपयोग अपलेखन के लिए किया जाएगा।

दायित्व निर्धारण समिति प्रत्येक मामले में 100 रुपये तक की राशि तथा पूरे वर्ष में बजट से उसके लिए आबंटित राशि तक का अपलेखन करने के लिए सक्षम होगी। इससे अधिक राशि का एकजाई प्रकरण बना कर राज्य स्तरीय समिति को अपलेखन हेतु भेजा जाता है। परियोजना अथवा राज्य स्तरीय समितियों द्वारा अपलेखन की गई राशियों की भरपाई संदिग्ध दायित्व निर्धारण निधि से पूरी की जाती है।

अभी हाल ही में इसी योजना के अन्तर्गत राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में जिन आदिवासी कृषकों के पास दस एकड़ या उससे कम भूमि है उन्हें मिनिमम गारंटी की राशि तथा वास्तविक उपभोग के अनुसार ली जाने वाली राशि के बीच का अंतर प्रथम पांच वर्ष तक आदिमजाति कल्याण विभाग द्वारा म० प्र० विद्युत मंडल के परियोजना अधिकारी की सिफारिश पर भुगतान किया जाएगा। इसके लिए वर्ष 1983-84 में पांच लाख रु० की धनराशि रखी गई है।

सहायक संचालक,
1505, नेपियर टाउन,
जबलपुर

भारतीय बुनकरों के लिए एक आदर्श योजना

कर्नाटक हथकरघा बुनकर विकास निगम के तत्वावधान में कर्नाटक के धारवाड़ जिले के नरसापुर गांव के बुनकरों को 200 आवास एवं कार्यशालाओं का एक परिसर निर्मित करके प्रदान किया गया। यह राज्य में 193 विभिन्न स्थानों पर 2300 आवास एवं कार्यशालाओं तथा 10 सार्वजनिक सुविधा केन्द्रों के निर्माण की वृहत्तर योजना का एक भाग है।

इस परिसर में प्रत्येक घर में रहने के दो कमरों, एक रसोईघर तथा शौचालय के अलावा दो करघे (लूम) लगाने की जगह भी है। ऐसे आवास एवं शेड परिसर पूरे कर्नाटक में रानेबैन्नौर, तुम्मिनकट्टी, ब्याहट्टी, गजेन्द्रगढ़, सिरसी, चन्नापटना तथा सिद्धपुर में बनाए जा रहे हैं।

उद्देश्य

इस परियोजना का उद्देश्य है—परियोजना के अंतिम लाभार्थियों को कार्य करने और रहने की सुविधा उपलब्ध कराना, लाभार्थियों को सार्वजनिक सुविधा केन्द्र उपलब्ध कराना, तकनीकी तथा प्रबंधकीय प्रशिक्षण, संस्थागत अथवा वाणिज्यिक ऋण उपलब्ध कराना तथा कच्चे माल एवं बिक्री की व्यवस्था करना।

इसके दीर्घकालीन उद्देश्य हैं :—लाभार्थियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार, रोजगार के नए अवसर जुटाना, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, हथकरघा उत्पादों में गुणात्मक सुधार तथा इनकी गतिविधियों का विविधीकरण।

यह परियोजना अक्तूबर 1980 में शुरु की गई थी तथा वर्ष 1984 के अंत तक इसके पूरा हो जाने की आशा है।

कर्नाटक राज्य लघु उद्योग विकास निगम तथा कर्नाटक लैंड आर्मी कारपोरेशन को आवास एवं कार्यशालाओं तथा सार्वजनिक सुविधा केन्द्रों के निर्माण का कार्य सौंपा गया है। नीदरलैंड सरकार ने, जो इस परियोजना में सहायता प्रदान कर रही है, इस परियोजना पर नजर रखने तथा इसके मूल्यांकन की जिम्मेदारी कर्नाटक तकनीकी परामर्श सेवा संस्था को सौंपी है।

अदायगी

हथकरघा बुनकर 25 वर्ष की अवधि में इन शेडों के लिए दिए गए ऋण को चुका सकेंगे। पहले दो वर्ष कुछ भी भुगतान नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद लाभान्वित व्यक्ति 53 रु० प्रतिमाह के हिसाब से 5 वर्ष तक भुगतान करेंगा। इसके बाद अगले 5 वर्ष तक किश्तों में प्रतिमाह 5 रु०की वृद्धि होगी। अंतिम 5 वर्षों में उन्हें 73 रु० प्रतिमाह अदा करना होगा। इसके बाद लाभार्थियों को पूर्ण स्वामित्व अधिकारों सहित ये आवास एवं कार्यशालाएं सौंप दी जाएंगी। इन घरों के साथ थोड़ी-थोड़ी अतिरिक्त भूमि भी है जहां सब्जियां इत्यादि उगायी जा सकती हैं।

अभी तक 400 में से 300 आवास बनाए तथा बुनकरों को दिए जा चुके हैं। इन 400 घरों तथा तीन सार्वजनिक सुविधा केन्द्रों पर 97.50 लाख रु० खर्च किए जा चुके हैं। सिरहाट्टी तथा लक्कुन्डी में भी आवास एवं कार्यशाला पर कार्य शुरु किया जा चुका है। □

6—बान बटने की मशीन

ग्राम के चयनित परिवारों की आय का साधन बढ़ाने हेतु छोटे-छोटे उद्योग धन्धे स्थापित करने की योजना है। इस वर्ष 6 बान बटने की मशीन 2 सराय छबीला, 2 राजगढ़ी तथा 2 जीवत में दी जाएंगी। इस प्रकार छोटे-छोटे उद्योग धन्धों से ग्राम के चयनित परिवारों की आय का साधन भी बढ़ेगा तथा अन्य ग्राम वासियों को उचित मूल्य पर तैयार किया हुआ सामान मिलने लगेगा।

कार्यक्रम का अनुश्रवण

कार्यक्रम के नियमित अनुश्रवण हेतु प्रत्येक ग्राम को एक अधिकारी की देख-रेख के लिए कर दिया गया है और पूर्ति स्पष्ट नियमित रूप से अनुश्रवण की जा रही है। इसके अतिरिक्त विशेषज्ञों की एक टोली समय-समय पर लाभार्थियों से नियमित सम्पर्क बनाए रखती है। साथ ही साथ प्रति मास प्रत्येक ग्राम में नियमित बैठक का आयोजन भी किया जा रहा है।

लाभार्थियों के 3 दिवसीय प्रशिक्षण की व्यवस्था भी वर्ष में एक बार सुनिश्चित की गई है साथ ही साथ रबी और खरीफ कार्यक्रमों के एकदिवसीय प्रशिक्षण की व्यवस्था भी सम्बन्धित ग्रामों में ही विशेषज्ञों द्वारा की जा रही है। इसके अतिरिक्त वार्षिक सम्मेलन, किसान दिवस कृषि एवं उद्योग, प्रदर्शन, आकाशवाणी से वार्ता का प्रसारण आदि भी नियमित रूप से किया जा रहा है। फलस्वरूप कार्यक्रमों में काफी सफलता प्राप्त हो रही है और केवल दो वर्ष के ही परियोजना काल में लाभार्थियों की आर्थिक स्थिति में पर्याप्त सुधार देखने को मिल रहा है। जो योजना की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। □

आचार्य प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र
लखावटी (बुलन्दशहर)

समन्वित ग्रामीण विकास प्रोग्राम

उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु शोध और शिक्षा जरूरी

डा० विनोद अधोलिया

समन्वित ग्रामीण विकास प्रोग्राम का मूल उद्देश्य ग्रामीण अंचलों में फैली हुई गरीबी को दूर करना है। अतः इस प्रोग्राम का मकसद, जो लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, उन्हें स्वरोजगार और आय कमाने की बेहतर सुविधाएं प्रदान करना है ताकि वे सुखमय जिन्दगी बसर कर सकें। प्रोग्राम का लक्ष्य केवल कृषकों तथा कृषि-श्रमिकों को ही नहीं अपितु वन, पशु, मत्स्य, शिकार, खनिज, पत्थर निकालने, निर्माण कार्य, उत्पादन व्यापार आदि में लगे हुए, गरज यह कि सभी लोगों को बेहतर जिन्दगी जीने की सुविधाएं मुहैया करना है।

प्रोग्राम की प्रकृति

इस शासकीय प्रोग्राम का यदि सही जायजा लेना है तो समस्त कार्य को तीन प्रमुख भागों में रखकर अध्ययन करना होगा। प्रथम, इनफ्रास्ट्रक्चर अर्थात् सड़क, रेल, विद्युतीकरण, बैंकिंग सुविधाओं इत्यादि की दिशा में कार्य; द्वितीय, वित्त स्रोतों को प्रवाहित करने की दिशा में कार्य; तृतीय, कार्य योजनाओं मसलन कृषि, छोटी सिंचाई, पशु संवर्द्धन, ग्रामीण उद्योग, व्यापार और सेवाओं इत्यादि से संबंधित योजनाओं की दिशा में कार्य। साथ ही यह अध्ययन भी जरूरी है कि इस प्रोग्राम का ग्रामीण निवासियों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है तथा व्यक्तिशः हितग्राही आर्थिक दृष्टि से कितने ऊपर उठे हैं। वस्तुतः यह अध्ययन ही सबसे जरूरी है। इसी से यह जानकारी प्राप्त हो सकती है कि प्रोग्राम को पूरा करने के लिए राष्ट्र की जिस विशाल संपदा को हमने लगा रक्खा है उसका उपयोग ठीक तरह से हो रहा है या नहीं तथा उसके फायदे सही मायनों में गरीब लोगों तक पहुंच रहे हैं या नहीं। वस्तुतः इस प्रोग्राम में इतना अधिक धन लगा हुआ है कि दुरुपयोग होने पर राष्ट्र इस हानि को बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। अतः दुरुपयोग को रोकने की हर संभव कोशिश होनी चाहिए। इस दृष्टि से विशेषतः वाणिज्य और प्रबन्ध शिक्षा में रत शिक्षकों और विद्यार्थियों का दायित्व अत्यधिक बढ़ जाता है। यह तब और भी जबकि राष्ट्र को सुविधा और अधिकार भोगी वर्ग में भ्रष्टता और गैर जिम्मेदारी घर कर रही हो। विशाल संसाधनों के दुरुपयोग को रोकने की दृष्टि से स्नातकोत्तर वाणिज्य और प्रबन्ध शिक्षा में रत महाविद्यालय और विश्वविद्यालय दो महत्वपूर्ण कार्य कर सकते हैं, यथा शोध और शिक्षा।

शोध

यदि थोड़ा सा भी महसूस होता है कि प्रोग्राम वांछित गति

की ओर अग्रसर नहीं है तो वाणिज्य और प्रबन्ध शिक्षा में रत महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों का यह दायित्व हो जाता है कि वे समुचित तकनीक और कार्य–रीति को विकसित करने की दिशा में पहल करें तथा संबंधित अधिकारियों को सलाह दें कि योजना के कार्यान्वयन को वांछित गति देने के लिए उनके पास स्कीम है जिसमें भ्रष्टता और अधिकार के दुरुपयोग की गुंजाइश नहीं। चूंकि यह व्यावहारिक शोध का क्षेत्र है और इसका मकसद कमियों को चिन्हित करना है, साथ ही उन क्षेत्रों पर ध्यान देना है जहां कार्य ठीक से नहीं हो रहा है, अतः ऐसा शोध महाविद्यालयों के द्वारा केवल पास के क्षेत्रों तक ही सम्पादित हो सकता है। जाहिर है कि प्रोग्राम की सफलता हेतु देश में फैले हुए सभी महाविद्यालयों को इस दिशा में प्रयत्नशील होना चाहिए।

वास्तव में महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों को एक ओर शासकीय एजेंसी और दूसरी ओर वित्तीय संस्थाओं से सम्पर्क स्थापित करना चाहिए। इसी प्रकार उन्हें भी शोध हेतु महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों से सम्पर्क करने में झिझक नहीं होनी चाहिए। ऐसा सम्पर्क प्रोग्राम की सफलता के लिए अत्यावश्यक है।

शिक्षा

इसमें संदेह नहीं कि ग्राम्य विकास और उत्थान का कार्य अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इसीलिए हितग्राहियों को उनकी भूमिका के बारे में शिक्षित करना अत्यन्त जरूरी हो जाता है। उन्हें शिक्षा देनी होगी कि वे प्राप्त सहायता को सही और पूरा-पूरा उपयोग करें तथा अवसरों का सम्पूर्ण लाभ उठाएं। उन्हें यह शिक्षा भी देनी होगी कि प्रस्तुत प्रोग्राम केवल उन्हीं की भलाई के लिए नहीं है वरन् इस योजना द्वारा निश्चित रूप से उनके बच्चों और आने वाली पीढ़ी का भविष्य सुखमय बनेगा। अतः उनको जागरूक रहकर उन लोगों का डटकर विरोध करना चाहिए जो उन्हें गुमराह करना चाहते हैं। यदि कार्य के दौरान कोई अपना वित्तीय हित साधना चाहता है तो उसकी शिकायत सभी को मिलकर उच्च अधिकारियों तक करनी चाहिए इसके लिए उन्हें आवश्यक संस्थाएं भी गठित करनी चाहिएं। उन्हें दृढ़तापूर्वक यह तय कर लेना चाहिए कि अब कोई उनका शोषण नहीं कर सकता। उन्हें यह जानकारी भी दी जानी चाहिए कि शासन उदारता से केवल उन्हीं की भलाई के लिए राशि व्यय कर रहा है। चूंकि हमारा देश विशाल है अतः हितग्राहियों को शिक्षित करने के लिए एक बड़े समुदाय की जरूरत है। यह कार्य सहज ही देश में विद्यमान विपुल विद्यार्थी शक्ति बिना किसी प्रलोभन के पूरा कर सकती है बशर्ते कि वह इसके लिए निष्ठापूर्वक कार्य करे और यह समझकर चले कि गरीब देश का यह कलंक है वहीं उसकी वह सबसे बड़ी कमजोरी भी है।

यह बात छुपी नहीं कि सरकारी योजनाओं में विनियोजित धन का काफी दुरुपयोग भी होता है। धन के गोल माल की प्रवृत्ति बढ़ती ही जा रही है। नतीजा यह होता है कि योजना के सुफल आम लोगों तक जिस प्रकार पहुंचने चाहिए नहीं पहुंच पाते। इस पर रोक आवश्यक है। इस हेतु एक ठोस और संगठित प्रयास होना चाहिए। विद्यार्थी शक्ति ठोस और संगठित रूप आसानी से ग्रहण कर सकती है तथा देश में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा सकती है।

देश में व्याप्त ग्राम्य गरीबी की समस्या की विकरालता दर्शाने के लिए एक सारिणी दी जा रही है जिससे संबद्ध पक्ष लाभान्वित हो सकते हैं।

गरीबी रेखा से नीचे ग्रामीण आबादी तथा समन्वित ग्रामीण विकास के तहत संभावित हितग्राहियों का प्रान्तीय स्तर पर वितरण

(लाखों में)

प्रांत	विकास खंडों की कुल संख्या	गरीबी रेखा के नीचे ग्रामीण आबादी	हितग्राही परिवारों की संभावित संख्या	हितग्राहियों की संभावित आबादी
1	2	3	4*	5**
आन्ध्र प्रदेश	324	170.30	9.72	48.60
असम	154	88.50	4.62	23.10
बिहार	587	260.50	17.61	88.05
गुजरात	218	94.80	6.54	32.70
हरियाणा	87	20.30	2.61	13.05
हिमाचल प्रदेश	69	10.80	2.07	10.35
जम्मू कश्मीर	75	14.80	2.25	11.25
कर्नाटक	175	124.10	5.25	26.25
केरल	144	93.40	4.32	21.60
मध्य प्रदेश	458	244.60	13.75	68.70
महाराष्ट्र	298	214.10	8.88	44.40
मणिपुर	26	114.71	.78	3.90
मेघालय	24	5.50	.72	3.60
नागालैंड	21	—	.63	3.15
उड़ीसा	314	159.70	9.42	47.10
पंजाब	117	13.50	3.51	19.55
राजस्थान	232	85.80	6.96	34.80
तमिलनाडु	377	170.50	11.21	56.05
त्रिपुरा	17	10.90	.51	2.55
उत्तर प्रदेश	876	429.90	26.28	131.40
पश्चिम बंगाल	335	227.70	10.05	50.25
संघीय राज्य	8	6.40	.24	1.20

*खंडों की संख्या में (लगभग 3000 परिवार की औसत संख्या) का गुणा किया गया है।

**परिवारों की संख्या में पांच (लगभग परिवार का आकार) का गुणा किया गया है।

आंकड़े—दि इकनामिक टाइम्स 18–10–82 से साभार □

भंडारित अनाज की सम्भाल

राम धनी राम

अधिक अनाज उपलब्ध करने के लिए पैदावार बढ़ाना ही एक मात्र उपाय नहीं है। उत्पन्न किए हुए अनाज में रख-रखाव के दौरान होने वाली हानि को न होने देना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि अन्न पैदा करना।

भण्डारण के दौरान होने वाली हानि के विषय में विभिन्न विशेषज्ञों के विभिन्न अनुमान है। यदि हम सही भण्डारण के अभाव में होने वाली हानि को दस प्रतिशत भी मान लें तो भी तकरीबन एक करोड़ तीस लाख टन अनाज जिसकी कि अनुमानत: कीमत दो हजार करोड़ रुपये होती है, प्रतिवर्ष नष्ट हो जाता है। क्या ही अच्छा हो कि यह नष्ट होने वाला अनाज बचाया जा सके और मनुष्यों के भोजन के लिए उपलब्ध कराया जा सके। ऐसा करना कोई असम्भव बात नहीं है। थोड़ी सी जानकारी देखभाल तथा सावधानी से अनाज में भण्डारण के दौरान होने वाली हानियों को रोका जा सकता है। अनाज के सही भण्डारण के मुख्य-मुख्य सिद्धान्त विशेषतया बरसात के मौसम में निम्नलिखित हैं :—

1. अनाज के सही भण्डारण का सर्व प्रथम सिद्धान्त है अनाज का भली प्रकार सूखा होना। यह जानने के लिए कि अनाज भली प्रकार सूखा हुआ है अथवा नहीं, कुछ दाने दांत से काटकर देखिए। सूखे दाने कड़क की आवाज के साथ कट जाएंगे। यदि अनाज भली प्रकार सूखा हुआ नहीं है तो ऐसे अनाज में नमी की अधिकता के कारण भण्डारण के दौरान गर्मी पैदा हो जाती है तथा उसमें फफूंदी लग जाती है। ऐसा अनाज धीरे-धीरे सड़ने लगता है तथा उसमें विषैले पदार्थ पैदा हो जाते हैं। ऐसा अनाज न तो खाने के लायक ही रहता है और न ही बीज के लायक। अधिक नमी वाले अनाज में कीड़े भी अधिक लगते हैं। अत: अनाज को भण्डार में रखने से पहले भली प्रकार सुखा लेना चाहिए। भण्डारण करते समय अनाज में नमी 12% से अधिक नहीं होनी चाहिए। चूंकि अनाज का स्वभाव वातावरण से नमी सोख लेने वाला है और बरसात के मौसम में वातावरण में नमी की मात्रा अधिक होती है अत: बारिस वाले दिनों में भण्डारण पात्रों तथा आज के गोदामों को बन्द रखना चाहिए।

2. अनाज के सही भण्डारण का द्वितीय सिद्धान्त है अनाज का ठण्डा होना। अनाज के भण्डार में रखते समय तथा भण्डारण के दौरान अनाज ठण्डा होना अति आवश्यक है अन्यथा अनाज में गर्मी पैदा हो जाती है और अनाज सड़ने लगता है। ऐसे अनाज में कीट तथा फफूंदी का प्रकोप भी बहुत अधिक मात्रा में होता है। यह मालूम पड़ते ही कि अनाज में गर्मी पैदा हो गई है, उसमें शीघ्रातिशीघ्र हवा लगा देनी चाहिए। हवा लगने से अनाज का तापक्रम कम हो जाएगा और उसमें होने वाली हानि रुक जाएगी। अत: सुखाने के बाद अनाज को ठण्डा करके ही भण्डार में रखना चाहिए और समय-समय पर भण्डारण के दौरान उसका निरीक्षण करते रहना चाहिए।

3. अनाज के सही भण्डारण का तृतीय सिद्धान्त है उसका भली प्रकार से साफ होना। कूड़े करकट-युक्त तथा टूटे अनाज में कीड़े आदि लगते हैं और उनकी रोकथाम भी प्रभावशाली ढंग से नहीं हो पाती है। अत: अनाज को भण्डार में रखने से पहले उसकी भली प्रकार से छान फटक करके सफाई कर लेनी चाहिए।

4. अनाज भण्डारण का चौथा सिद्धान्त है उसका कीट रहित होना। अनाज के शत्रुओं में कीटों का प्रमुख स्थान है। हमारे देश जैसी गर्मतर जलवायु कीटों की बढ़ोतरी में विशेष सहायक होती है। विशेषकर बरसात के मौसम में तो कीटों का प्रकोप अनाज पर बहुत ही भयंकर होता है। कीट अनाज में छोटे-छोटे छेद कर देते हैं। और अनाज के सारे पोषक तत्वों को चट कर जाते हैं। हमें सिर्फ प्राप्त होता है इनका मल-मूत्र तथा अवशेषों द्वारा दूषित अनाज। क्या कोई ऐसे अनाज को खाना पसन्द करेगा? कदापि नहीं। यह आम धारणा है कि अनाज में से कीट स्वयं पैदा होते हैं, गलत है। इसके विपरीत कीट अनाज में बाहर से ही आते हैं। कीट खेतों, दूषित परिवहनों, पुरानी बोरियों, पुराने अन्न आदि से अच्छे अनाज में आ जाते हैं।

"रोकथाम इलाज से ज्यादा बेहतर है" वाली कहावत कीटों पर पूर्ण रूपेण लागू

होती है। इस लिए भण्डारण से पूर्व यह देख लेना चाहिए कि अनाज में अथवा भण्डारण पात्र में पहले से कीट मौजूद तो नहीं हैं। यदि हैं तो ऐसे अनाज का प्रधूमन कर लेना चाहिए। प्रधूमन वास्तव में कीट नाशक की एक क्रिया है, जिसमें कीटों द्वारा दूषित अनाज अथवा बोरी को किसी प्रधूमन दवा की आपेक्षिक मात्रा के साथ संचयन पात्र में रखकर अथवा गैस प्रूफ कवर से ढककर हवा बन्द कर देते है। यह प्रधूमन दवा गैस रूप में बदल जाती है और कीटों को मार देती है। प्रधूमन एल्यूमीनियम फास्फाइड है। एल्यूमीनियम फास्फाइड दवा का प्रयोग रिहायशी जगहों में नहीं करना चाहिए। इन दवाओं का प्रयोग बहुत सावधानी पूर्वक करना चाहिए। भण्डारण के दौरान अनाज का निरीक्षण करते रहना चाहिए। खासकर बरसात के मौसम में यह अति आवश्यक है। कीट दिखाई देने पर फौरन प्रधूमन कर देना चाहिए। ई० डी० बी० एक तरल पदार्थ है और आजकल कांच की शीशियों में उपलब्ध है। इस दवा की मात्रा 3 मी० ली० प्रति क्विंटल के हिसाब से देकर पात्र को सात दिन तक हवा बन्द रखते हैं। अल्यूमीनियम फास्फाइड गोलियों के रूप में मिलता है और इस दवा की मात्रा तीन-तीन ग्राम की दो गोलियां प्रति टन के हिसाब से देते हैं और भण्डारण पात्र को सात दिन तक बन्द रखते हैं।

अनाज को कीट रहित रखने में सफाई का विशेष महत्व है क्योंकि कीट साफ सुथरे वातावरण में नहीं पनप पाते। अतः अपने भण्डारण ग्रह अथवा भण्डार पात्र के आसपास वातावरण स्वच्छ रखना चाहिए। समय-समय पर भण्डारण गृह के फर्श, दीवारों, उसके आस पास तथा अनाज के बोरों पर मैलाथियान दवा से छिड़काव करते रहने से कीड़ों की रोकथाम में विशेष सहायता मिलती है। छिड़काव करने के लिए इस दवा के एक भाग को 100 भाग पानी में मिला देते हैं और इस पानी की 3 लिटर मात्रा को प्रति 100 वर्ग मीटर के हिसाब से छिड़कते हैं। मैलाथियन दवा का छिड़काव हर तीसरे हफ्ते करते रहना चाहिए। इस दवा का छिड़काव खुले अनाज पर नहीं करना चाहिए और न ही इस दवा को अनाज के साथ मिलाना चाहिए।

5. अनाज के सही भण्डारण का पांचवां तथा सबसे मुख्य सिद्धान्त है, आदर्श भण्डारण पात्र का प्रयोग। अब आप पूछेंगे कि किस भण्डार पात्र को आदर्श भण्डार पात्र कहा जा सकता है। क्या आम तौर पर हमारे किसान भाइयों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले भण्डार पात्र जैसे कुठला, कच्ची कोठी, भरोला, भरोली, आदि को आदर्श भण्डार पात्र कहा जा सकता है? कदापि नहीं क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि इन पात्रों में नमी, चूहों, कीटों, तथा कभी-कभी पक्षियों से भी अनाज को भारी नुकसान होता है। अतः आदर्श भण्डार पात्र हम सिर्फ उसको ही कह सकते हैं। जो कि मजबूत हो, सस्ता हो तथा अनाज की नमी, चूहों, चिड़ियों तथा कीटों से रक्षा कर सके। "भारतीय अनाज संचयन संस्थान, हापुड़" द्वारा विकसित टीन की तथा पक्की कोठी आदर्श भण्डार पात्र की सभी आवश्यकताओं को पूरा करती है, क्योंकि यह चूहे तथा पक्षी अवरोधक है तथा कीटों से बचाव के लिए इन भण्डार पात्रों में अनाज का सफलता पूर्वक सरलता से प्रधूमन किया जा सकता है। ये पात्र काफी मजबूत हैं तथा इनका प्रयोग दीर्घ काल तक किया जा सकता है। हालांकि इन पात्रों की कुठला, कच्ची कोठी, भरोला आदि की तुलना में शुरू में कीमत अधिक पड़ती है परन्तु टीन की टंकियों तथा पक्की कोठियों की आयु दीर्घ कालीन होने के कारण तथा उनमें नुकसान कम होने के कारण इन पात्रों में अनाज संचयन का खर्चा बहुत कम होता है। अतः टीन की टंकियां तथा पक्की कोठियां किसानों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले पात्रों की अपेक्षा सस्ती पड़ती हैं। टंकी तथा पक्की कोठी बहुत आसानी से गांवों में ही लुहार तथा राज मिस्त्री द्वारा बनाई जा सकती है। अनाज के सही भण्डारण के लिए इनका प्रयोग करना चाहिए। बरसात के दिनों में इन पात्रों के ढक्कन भली प्रकार बन्द कर देने चाहिए।

अनाज का सही भण्डारण एक राष्ट्रीय महत्व का प्रश्न है और यही कारण है कि भारत सरकार इस ओर काफी ध्यान दे रही है। भारत सरकार के खाद्य विभाग के अन्तर्गत एक देश-व्यापी कार्यक्रम "अन्न सुरक्षा अभियान" चलाया जा रहा है। इस अभियान में कृषकों, व्यापारियों तथा अन्य सभी लोगों को जो कि अन्न संचयन से सम्बन्ध रखते हैं, इस विषय पर प्रशिक्षण तथा पूर्ण जानकारी दी जाती है। इस अभियान के क्षेत्रीय कार्यालय चण्डीगढ़, गाजियाबाद, लखनऊ, पटना, कलकत्ता, जबलपुर, भोपाल, हैदराबाद, भुवनेश्वर, मद्रास, अहमदाबाद, गोहाटी तथा बंगलौर में स्थित हैं। इन के अतिरिक्त तीन उप क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी, रायपुर तथा त्रिवेन्द्रम में भी हैं। इन सभी का संचालन संयुक्त आयुक्त, अन्न सुरक्षा अभियान, खाद्य विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली द्वारा किया जाता है।

खाद्य विभाग का "भारतीय अनाज संचयन संस्थान" हापुड़ अपने उप संस्थान लुधियाना तथा हैदराबाद सहित अन्न भण्डारण सम्बन्ध खोज कार्यों में लगा हुआ है। ये संस्थान अन्न भण्डारण सम्बन्धी समस्याओं का अध्ययन करके उनके निदान के उपाय समझते हैं नए-नए भण्डार पात्रों के नमूने विकसित करते हैं। चूहे, कीटों, आदि के नियंत्रण के लिए नई-नई दवाओं, उनकी प्रयोग विधि आदि विकसित करते हैं। इन संस्थाओं में अन्न भण्डारण सम्बन्धी विभिन्न कालीय प्रशिक्षण भी दिए जाते हैं।

अनाज का सही प्रकार से भण्डार करना हम सबका कर्तव्य है। हम सबको अनाज का सही भण्डारण करना चाहिए और उसको नष्ट होने से बचाकर देश की खाद्य समस्या सुलझाने में अपना सहयोग देना चाहिए। □

सेक्टर I/482,
आर० के० पुरम,
नई दिल्ली-110022

स्वाधीनता
एक वरदान और एक सौभाग्य

आज से 37 साल पहले हमने अपनी पराधीनता की बेड़ियां तोड़ डालीं और हमारी गिनती स्वाधीन देशों में हुई।

तब से जीवन के हर क्षेत्र में हमने तीव्रता से प्रगति की है।

*आज देश की आवश्यकताओं के लिए हमारे किसान भरपूर अनाज उगाते हैं।

*आज दुनिया के औद्योगिक देशों में हमारा गौरवपूर्ण स्थान है।

देश के बच्चे-बच्चे को सामाजिक और आर्थिक न्याय दिलाने के लिए बीस सूत्री कार्यक्रम एक वरदान बनकर आया है।

इस सौभाग्यशाली लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें प्रगति का क्रम जारी रखना है और आंतरिक या बाहरी खतरों से अपनी स्वाधीनता और अखण्डता की रक्षा करनी है।

आइए ! अपनी स्वाधीनता के 38 वें साल हम कड़ी मेहनत और एकजुट होकर काम करने का प्रण लें। इसीके माध्यम से हम अपने घोषित लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं।

वि 84/100

वापस लौटती खुशियां

बटुक चतुर्वेदी

गांव का नाम सुनकर मैं पहली बार तब चौंका था जब मेरी पोस्टिंग इस विकास खण्ड में हुई थी। अपने सहयोगी अधिकारियों और कर्मचारियों से जब इस गांव का नाम "प्यासा गांव" होने का कारण पूछा तो कोई भी मुझे सन्तोषजनक उत्तर नहीं दे पाया। मैं भी इस बात को लगभग भूल चुका था कि एक दिन एक मंत्री महोदय के दौरे के प्रबन्ध के लिए मुझे ब्लाक के कुछ गांवों का दौरा करना पड़ा। सेमरा, बेरखेड़ी, करगी, इमलिया, और चीलखेड़ा गांवों में प्रबन्ध व्यवस्था देखकर मैं खजूरी ग्राम की ओर बढ़ रहा था। मई महीने का सूर्य सुबह से ही आंखें तरेर रहा था। मैंने ड्राइवर को जीप के पर्दे डालने का आदेश दिया और स्वयं सिर सर तौलिया लपेट कर बैठ गया। रास्ते में मुझे एक छोटे से नाले से पानी के घड़े भरभर ले जाते लोग दिखाई दिए। मैंने दूर तक नजर दौड़ाई—मगर मुझे गांव नजर नहीं आया मैंने ड्राइवर से पूछा—यह किस गांव के लोग हैं?

ड्राइवर ने जो कुछ बताया मैं उससे चौंका और गाड़ी रोकने का आदेश दिया। ये लोग "प्यासा गांव" के ही निवासी थे, जो यहां से लगभग पांच किलोमीटर दूर था। लोग भरी दोपहरी में अपने सिर या कन्धों पर पानी के घड़े रखकर ले जा रहे थे। वह नाला, जिससे ये लोग पानी ले जा रहे थे, उसे देख कर भी मैं चौंका—मटमैला पानी! मुझसे नहीं रहा गया तो मैंने पानी भर रहे एक ग्रामवासी से बातचीत की! उसने जो कुछ बताया वह और भी चौंकाने वाला था। "प्यासा गांव" में कभी बड़ी संख्या में लोग रहते थे, मगर धीरे-धीरे लोगों ने गांव छोड़ना शुरू कर दिया। कारण गांव में पीने के पानी के दो कुंए थे, जो फागुन का महीना आते ही सूख जाते और लोगों को पांच किलोमीटर चलकर इस नाले से पानी लाना पड़ता था। यह अशुद्ध पानी पीने से बहुत से लोग बीमारियों का शिकार होते रहे। गर्मी में उल्टी-दस्त होने की बीमारी यहां आम रोग है जो दो-चार लोगों की बलि हर वर्ष ले लेती है।

हम एक आम के पेड़ के नीचे खड़े बात कर रहे थे। पानी भरने वाले और लोग भी हमारे पास एकत्रित हो गए। चर्चा के दौरान एक बात जो लोग बताने से संकोच कर रहे थे, वह थी, उस गांव में महिलाओं की संख्या का ह्रास।

मैंने पूछा—ऐसा क्यों है? उपस्थित सभी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। तब बड़े संकोच से एक बूढ़े व्यक्ति ने बताया—अरे साब, भला "प्यासे गांव" में कौन अपनी बिटिया मारने को ब्याहेगा। फागुन से जेठ तक चार महीना नाले से पानी ढो-ढो कर अच्छी-अच्छी खाई-पीई पुष्ट शरीर वाली महिलाओं का शरीर भी जर्जर हो जाता है। कई तो बीच रास्ते में गिरकर बेहोश हो जाती हैं। कई लू से चल बसीं और कई उल्टी दस्त से। इसलिए इस गांव में लोग अपनी लड़कियों का सम्बन्ध नहीं करते। बहुत से लोग इस पानी की तकलीफ के कारण ही कोड़ियों के मोल अपनी जमीन जायदाद बेचकर दूसरे गांवों में बस गए हैं।

अब मेरी समझ में आ गया था कि क्यों इस गांव का नाम "प्यासा गांव" है। मैंने अब तक गांव वालों को अपना परिचय नहीं दिया था। मैंने कहा—देखो भाई, अभी तो मैं जरूरी काम से खजूरी गांव जा रहा हूं, मगर अगले सोमवार को आपके गांव आऊंगा और जो कुछ हो सकेगा, करने की कोशिश करूंगा।

सोमवार को मैं "प्यासा गांव" न जा पाया क्योंकि मंत्री जी के दौरे के सम्बन्ध में जरूरी रपट कलैक्टर साहब को भेजनी थी। शनिवार को प्रातः मैं जब "प्यासा-गांव" पहुंचा तो लोग अपने खलिहानों में व्यस्त थे। कोई फसल की दामन कर रहा था, कोई उड़ावनी और कोई बोरों में भर-भरकर अनाज भण्डारण के लिए घरों में ले जा रहा था। कुछ लोग नाले से पानी लाने का काम भी बदस्तूर जारी रखे हुए थे। मैं बीच गांव में नीम के पेड़ के नीचे, बने एक चबूतरे के पास जीप रुकवाकर उतरा। वहां एक बूढ़ा आदमी खाट पर लेटा था। मैंने राम-राम के बाद उसे अपना परिचय देकर बात शुरू की। वह आदमी उठकर बैठने लगा तो मैंने उससे लेटे रहने का आग्रह किया, मगर वह न माना, उठकर बैठ गया और मुझे अपने ही पास खाट पर बिठा लिया। खेती—किसानी की बातें करते-करते मैंने पूछा—बाबा, पानी नहीं मिलेगा क्या पीने को? बूढ़ा थोड़ा संकोच के साथ बोला—बी० डी० ओ० साब, देखता हूं, लड़का पानी भरने गया था, लौटा कि नहीं। बड़ी दूर जाना पड़ता है पानी लेने। बड़ा कष्ट है साब, अगर यह कष्ट मिट जाए तो यह गांव स्वर्ग हो जाए।

बातों-बातों में उस बुजुर्ग ने जो कुछ बताया उसका सार यह था कि कभी इस गांव के कुओं में खूब पानी था। मगर

पिछले बीस साल से वे फागुन आते-आते सूख जाते हैं। कई बार उनकी सफाई भी की गई, मगर व्यर्थ। तहसीलदार, कलैक्टर सभी के यहां दरख्वास्तें दीं, मगर कोरे आश्वासनों के अलावा कुछ नहीं मिला। धीरे-धीरे लोग अपनी जमीन जायदाद बेचकर आसपास के गांवों में बसने लगे। नाले का पानी पीने से गर्मी में बीमारियां फैलने लगीं। हर साल दो चार लोग इससे मरते रहे। पानी के कारण लोग अपनी लड़कियां इस गांव में नहीं ब्याहते। कहते हैं—जानते बूझते मौत के मुंह में कौन ढकेले बेटी को। गांव के अधिकांश नौजवान कुंआरे फिर रहे हैं। बूढ़े ने आंसू भरकर कहा—बुढ़ापे में मेरी पत्नी उल्टी दस्त से मर गई। जवान बेटा है, मगर कोई शादी करने को तैयार नहीं है। घर का काम देखने वाली औरत ही घर में नहीं हो तो कैसा घर? हम भी जमीन जायदाद बेचकर खजूरी गांव में बसेंगे।

मैंने कहा—बाबा, अगर आपके गांव में पानी आ जाए तब तो आप गांव छोड़कर नहीं जाएंगे?

फिर तो, भगवान आपका भला करें, जो चले गए हैं वे भी लौट आएंगे। इस गांव में रौनक वापस लौट आएगी। कभी इस गांव का दूर-दूर तक नाम था, मगर आज यह "प्यासा गांव" के नाम से बदनाम है। कभी इस गांव की औरतों के लोक गीत आसपास के गांवों तक गूंजते थे। आज गांव में औरतों के नाम पर 10–15 बूढ़ी औरतें बची हैं जो कब चल बसें, राम जाने-बूढ़ा बोला।

शाम को चौपाल पर मैंने गांव वालों से बात की। सबको धैर्य बंधाया और विश्वास दिलाया कि इस गांव को पानी मिलेगा।

लौटते समय पता नहीं मैं क्यों भावुक हो गया था। जैसे गांव का दर्द मेरी नस-नस में समा गया हो। मैं अपने गले में प्यासे गांव की प्यास समेटे वहां पानी लाने की योजनाएं बना रहा था। दो ही रास्ते थे—या तो नाले को बांधकर पानी पाइप लाइन से गांव में पहुंचाया जाए अथवा मौजूदा कुओं की बोरिंग कराकर गहरा किया जाए। नाला बंधवाने की योजना महंगी और लम्बी थी, पता नहीं कब स्वीकृत हो? हां, बोरिंग मशीन प्राप्त करने की बात कठिन होने पर भी यह योजना, सस्ती और जल्दी पूरी होने वाली थी। लोगों का दुख इससे तुरन्त मिट सकता था।

मैंने अपनी रपट तैयार की गांव का पूरा कष्ट कागज पर उतारकर उच्चाधिकारियों को भेज दिया और निवेदन किया कि अगर बोरिंग मशीन कुछ ही दिन के लिए मिल जाए तो लोगों का यह भयंकर कष्ट तुरन्त दूर हो सकता है। सौभाग्य से बोरिंग मशीन हमारे जिले में ही काम कर रही थी। मैंने कलैक्टर साहब से मिलकर मशीन "प्यासा गांव" के लिए दिलाने का अनुरोध किया और मौखिक रूप से वहां के लोगों के कष्ट उन्हें सुना दिए। उनके हृदय में भी करुणा उत्पन्न हुई और बोरिंग मशीन तुरन्त उस गांव में भेजने के आदेश दे दिए।

दो सप्ताह बाद की बात है। मैं सुबह अपने घर पर बैठा जरूरी कामकाज निपटा रहा था कि किसी ने दरवाजा खटखटाया। मैंने उसे अन्दर आने को कहा। वह व्यक्ति अन्दर आया तो मैं चौंक पड़ा—अरे, राम परशाद तुम! कहो, कैसे आए? मशीन नहीं पहुंची क्या?

वह गदगद होकर बोला—बी० डी० ओ०, साहब, सब कुछ हो गया, बस आप को लेने आया हूं। सब गांव वालों ने मुझे आपको लाने भेजा है। पूरे गांव में आज खुशियां मनाई जा रही हैं। आपने जो मशीन भिजवाई थी उसने दोनों कुओं को गहरा कर दिया है। अब दोनों कुओं में पानी ही पानी है। मगर हमारी खुशी, अभी अधूरी है। आप जब तक वहां नहीं चलेंगे, वह खुशी अधूरी ही रहेगी।

मैंने उसे आश्वासन दिया कि मैं एक-दो दिन में जरूर आऊंगा। वह चला तो गया मगर बार-बार वचन ले गया कि मैं आऊंगा, जरूर अन्यथा सारा गांव यहीं आएगा, मुझे लेने।

अपने वायदे के मुताबिक मैं तीसरे दिन सुबह "प्यासे गांव" की तरफ चल पड़ा। आज मुझे रास्ते में नाले पर पानी भरते मुरझाए चेहरे नहीं दीखे। गांव की सीमा पर पहुंचने पर मैंने देखा कि आम के पत्तों से स्वागत द्वार बने हैं तथा तोरण-पताकाएं सजी हुई हैं। आगे बढ़ने पर तो ऐसा लगा मानो वहां कोई बड़ा भारी उत्सव हो रहा था। लोक-वाद्यों पर गीत हो रहे थे।

मेरी जीप गांव में घुसने के पहले ही भीड़ ने रोक ली। मैं जैसे ही उससे उतरा, लोग गुलाल और फूल मालाएं लेकर मेरी तरफ बढ़े। मैंने हाथ जोड़कर सबका अभिवादन किया और कहा—यह मेरा कर्तव्य था, जो मैंने पूरा किया। इसमें मेरा स्वागत करने की जरूरत कतई नहीं। वे नहीं माने तो मैंने गुलाल मुट्ठी में भर कर हवा में उछाली और नारा लगाया भारत माता की जय। सारा गांव जय-जयकारों से गूंज उठा। पता नहीं कितने वर्षों बाद खुशियां इस गांव में लौटीं।□

14/8, परी बाजार,
शाहजहांनाबाद
भोपाल-46200

शिशु एक सुख अनेक

बदलती हुई व्यापारिक स्थिति की चुनौती स्वीकार करते हुए...

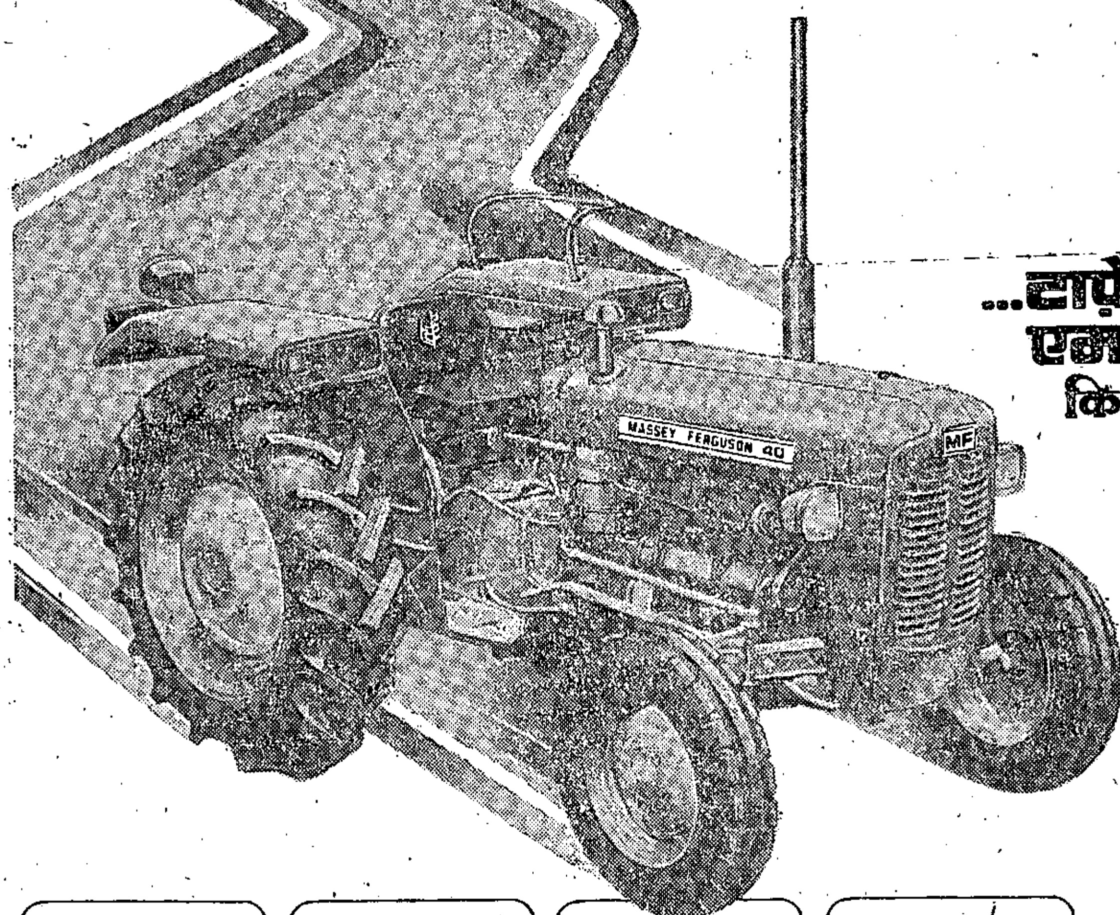

...टाफ़े, नये अधिक शक्तिशाली एम.एफ़ १०४० ट्रैक्टर से किसानों के समृद्धि-क्षेत्र को फैलाता जा रहा है!

एम. एफ़ १०३५ ट्रैक्टर, जिसने देश के कृषि-क्षेत्र में मशीनों का समावेश किया, पिछले बीस से भी अधिक वर्षों से भारतीय कृषि की सेवा कर रहा है।

अब टाफ़े की ओर से पेश है, एक नया मॉडल—एम एफ़ १०४०—जिसमें ७ अतिरिक्त हॉर्सपावर है। अधिक बड़े और ज्यादा वज़नदार उपकरणों को अधिक ढो सकने की शक्ति से ले जा सकने के लिए इसे खास तौर से डिज़ाइन किया गया है।

एम एफ़ १०४० में कई खास खूबियाँ हैं जैसे अधिक बड़ा ११" का क्लच, डीलक्स सीट, सपाट ऊपरी फ़ेंडर्स, ट्रैक्टर मीटर, बेहतर रोशनी-व्यवस्था, सेफ़्टी फ्यूज़ कैरियर तथा अतिरिक्त गेजेज वगैरह। इन्हीं खूबियों के कारण आपके खेती-बाड़ी के कार्यों की उत्पादकता और लाभ बढ़ाने के लिए ये आपके लिए योग्य साथी प्रमाणित होंगे।

अपने पास के टाफ़े डीलर के यहाँ आने से आपको इस बात की तसल्ली हो जाएगी।

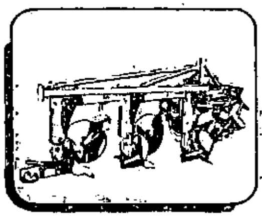
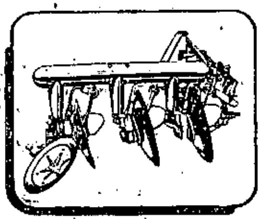
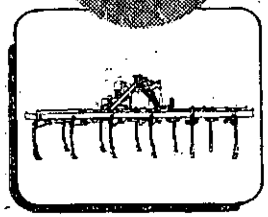
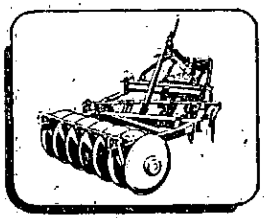

.बड़े-बड़े उपकरणों का उपयोग . विशालतर क्षेत्रों में प्रवेश . उत्पादन में वृद्धि

MF Massey Ferguson

TAFE

ट्रैक्टर्स एण्ड फ़ार्म इक्विपमेंट लिमिटेड

मद्रास

MAC/T-51 A HIN

बीस सूत्री कार्यक्रम की समीक्षा

बीस सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत चालू वित्त वर्ष के दौरान अब तक अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित 25 लाख से अधिक लोगों को आर्थिक सहायता दी जा चुकी है। 20 सूत्री कार्यक्रम की उपलब्धियों के बारे में योजना आयोग द्वारा किए गए मूल्यांकन से पता चलता है कि अनुसूचित जनजाति के बारे में निर्धारित लक्ष्य की तुलना में 80.4 प्रतिशत लोगों को आर्थिक सहायता दी गई है। वर्ष के दौरान लगभग 6.14 लाख अनुसूचित जनजाति के परिवारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई।

हिमाचल प्रदेश और मणिपुर ने लगभग 162 प्रतिशत सफलता प्राप्त की है। बिहार और उत्तर प्रदेश राज्य और केन्द्र शासित प्रदेशों ने भी निर्धारित लक्ष्य से अधिक सफलता प्राप्त की है। मध्य प्रदेश और राजस्थान ने निर्धारित लक्ष्य की तुलना में 90 प्रतिशत प्रगति की है। अन्य छह राज्यों ने निर्धारित लक्ष्य का 74 से लेकर 81 प्रतिशत तक काम किया है। केवल तीन राज्यों का कार्य 50 प्रतिशत से कम रहा।

राज्यों द्वारा अनुसूचित जाति के 18.95 लाख परिवारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई है। महाराष्ट्र ने 2.70 लाख से अधिक लोगों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जबकि राज्य का निर्धारित लक्ष्य 1.10 लाख लोगों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना था। इस प्रकार महाराष्ट्र ने निर्धारित लक्ष्य की 244 प्रतिशत सफलता प्राप्त की है। इसके बाद गुजरात (97.1 प्रतिशत) और तमिलनाडु (96.8 प्रतिशत) का स्थान आता है। इस क्षेत्र में राष्ट्रीय औसत 75.8 प्रतिशत है।

इस अवधि के दौरान 39,800 बायो गैस संयंत्र लगाए गए जो निर्धारित लक्ष्य का 80 प्रतिशत है। इसमें खादी ग्रामोद्योग द्वारा लगाए गए बायोगैस संयंत्र शामिल नहीं हैं। पांच राज्यों—हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, तमिलनाडु और राजस्थान ने अपने निर्धारित लक्ष्य से अधिक बायोगैस संयंत्र लगाए हैं। इस क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश सभी राज्यों में अग्रणी रहा और इसने 209.7 प्रतिशत सफलता प्राप्त की है। पांच राज्यों ने निर्धारित लक्ष्य का 41 प्रतिशत से कम उपलब्धि हासिल की है और मेघालय तथा सिक्किम की इस क्षेत्र में उपलब्धि शून्य रही।

नए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने में 83 प्रतिशत उपलब्धि हासिल की गई। इस अवधि के दौरान 339 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले गए जबकि वार्षिक निर्धारित लक्ष्य 405 केन्द्र खोलने का था।

वर्ष 1983-84 के दौरान बेघरों को मकान देने, वृक्षारोपण और बच्चों के विकास के लिए सुविधाएं जुटाने के निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिए गए हैं। इन क्षेत्रों में कई राज्यों ने निर्धारित लक्ष्य से अधिक सफलता प्राप्त की हैं। कुछ राज्य अपने निर्धारित लक्ष्य से पीछे रहे हैं। □

सफलता की कहानी

तीन साल में उनकी आय तिगुनी हो गई है

हर्ष वर्धन पाठक

विदिशा जिले के चिरौरिया ग्राम के कई खेतिहर मजदूर अब पहले से तिगुना कमा रहे हैं। जिन मजदूरों को पहले रोजाना मुश्किल से पांच-सात रु० मिल पाते थे, अब वे रोज बीस-पच्चीस रु० प्राप्त कर लेते हैं।

यह कोई चमत्कार नहीं है। इन मजदूरों की मेहनत और सूझबूझ तथा इन्हें मिले अनुदान और ऋण के सही उपयोग से यह संभव हुआ है।

विकास खण्ड विदिशा ने सेन्ट्रल बैंक के सहयोग से 32 व्यक्तियों को भैंसें वितरित कीं। जिलाध्यक्ष श्री ओ० पी० दुबे ने, एकीकृत ग्रामीण विकास योजना के अन्तर्गत ये भैंसें प्रदान करते समय जब हितग्राहियों से बातचीत की तब पता चला कि दो व्यक्ति मदनलाल और इमरत सिंह ने तीसरी बार भैंस खरीदने के लिए ऋण स्वीकृत कराया है। ये दोनों इसके पहले दो-दो भैंसें एकीकृत ग्रामीण विकास योजना से मिली सुविधाओं का लाभ उठाकर खरीद चुके हैं। सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि इन दोनों ने पहले के दोनों ऋण पूरे-पूरे चुका दिए हैं।

इमरत सिंह चिरोरिया गांव का रहने वाला 27-28 वर्षीय नवयुवक है। उसके परिवार में पांच सदस्य हैं। दो बच्चे, पत्नी, मां और स्वयं के भरण-पोषण की जिम्मेदारी उस पर है। तीन साल पहले तक वह यहां-वहां मजदूरी करता था और पांच-सात रुपये रोज कमा पाता था। गांव के कुछ लोगों को बीस-सूत्रीय कार्यक्रम में कर्जा मिलते देख उसे भी कुछ

प्रोत्साहन मिला। ग्राम सेवक की सहायता से उसने एक भैंस खरीदने के लिए ऋण मांगा। ऋण स्वीकृत हुआ तो उसने तीन हजार रुपये की एक भैंस खरीद ली। उसके बाद की कहानी उसकी मेहनत और लगन की है। दूध बेचकर उसने अपने परिवार का भरण-पोषण किया और कर्ज चुका दिया। इसी प्रकार दूसरी भैंस खरीदी और पिछले दिनों तीसरी भैंस भी खरीद ली।

इमरत सिंह खुश है और अब उन्नति की लालसा उसकी आंखों से झलकती है। खुशी-खुशी वह बता रहा था कि 'इसके अलावा भी आठ सौ रुपये बचे थे, जो जमीन खरीदने में लगा दिए हैं।

चिरोरिया गांव के ही मंदनलाल की कहानी भी मिलती-जुलती ही है। उसने भी पिछले तीन साल में दो बार भैंस खरीदने के लिए ऋण लिया और चुका भी दिया। अब उसने तीसरी बार भैंस ली है। उसके परिवार में स्वयं, पत्नी और माता, पिता चार सदस्य हैं। पिछले तीन साल में सबका पेट पाला, कर्जा चुकाया, मकान की मरम्मत कराई, फर्शी लगवाई, ये सब बातें वह खुशी-खुशी बता रहा था।

ये दोनों व्यक्ति हरिजन हैं। आगे पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि उनके गांव में 25-30 लोगों को भैंस के लिए ऋण मिला है। इसके अलावा गांव में कुआं खुदा है, पम्प लगे हैं और एक ने बकरियां भी खरीदी हैं।

इमरतसिंह और मंदनलाल की खुशहाली की कहानी दूसरों के लिए भी प्रोत्साहन बन सकती है। विदिशा जिले में एकीकृत ग्रामीण विकास योजना के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष में दिसम्बर, 1983 के अंत तक 3644 लोगों को 144 लाख रुपये के ऋण और लगभग 44 लाख रुपये के अनुदान स्वीकृत किए गए हैं। इमरतसिंह, मदनलाल और इनके समान दूसरे प्रगतिशील लोगों की कहानी इन हितग्राहियों को रास्ता सुझाती है कि यदि मेहनत और सूझ-बूझ से काम लिया जाए तो भविष्य के सुनहरे सपने साकार हो सकते हैं।

जन सम्पर्क अधिकारी,
विदिशा,
जिला विदिशा (म० प्र०)

मणिपुर

बीस सूत्री कार्यक्रम

डा० गुलाब खां

भारत के उत्तर-पूर्वी भाग में स्थित छोटे से राज्य मणिपुर में बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत आने वाले छः सूत्रों के उद्देश्यों को पूरा कर लिया गया है। इस छोटे से राज्य में अब तक 878 आदिम जाति परिवारों को आर्थिक एवं अन्य प्रकार की सहायता देकर लाभ पहुंचाया गया है। इसके अतिरिक्त 33 भवनों का निर्माण भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए किया गया है।

मणिपुर में बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत विद्युतीकरण के शत-प्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति अनुमानतः वर्ष 1990 तक पूर्ण हो जाएगी। ग्रामीण विद्युतीकरण का कार्य प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है। 87 गांवों में विद्युतीकरण किया जा चुका है। जबकि निर्धारित लक्ष्य 70 गांवों का था। राज्यों में 14 पम्पसेटों को लघु सिंचाई की सुविधा के लिए लगाया गया है। जबकि चालू वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य 10 सेटों का था। पांच प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों की स्थापना की गई थी। तीन ब्लाकों को आई० सी० डी० एस० योजना के अन्तर्गत रखा गया जबकि चालू वर्ष में निर्धारित लक्ष्य केवल दो ब्लाकों का था। मणिपुर राज्य में लगभग 25800 व्यक्तियों को वयस्क शिक्षा योजना के अन्तर्गत नामांकन किया गया था। जबकि निर्धारित लक्ष्य 36000 व्यक्तियों के लिए था। राज्य में 59 प्राथमिक स्कूलों की स्थापना की गई। जबकि लक्ष्य 50 प्राथमिक स्कूल खोलने का था।

राज्य में ग्रामीण एवं लघु उद्योग बढ़ाए जा रहे हैं। अगस्त 1983 तक राज्य में 200 ग्रामीण एवं लघु उद्योग इकाइयां स्थापित की गईं। राष्ट्रीय ग्रामीण योजना के अन्तर्गत 409 इकाइयों की स्थापना की जा चुकी है। सामाजिक वानिकी के क्षेत्र में काफी प्रगति हुई है। वर्ष 1983-84 के लिए लगभग 1,80,000 श्रम दिवसों का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसमें से अब तक 1,69, 669 श्रम दिवसों का रोजगार पैदा किया जा चुका है। राज्य में 76.86 लाख पेड़ों के रोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसमें से लगभग 3,07,000 पेड़ों के रोपण का कार्य शेष है। बाकी कार्य पूरा हो चुका है। राज्य में तस्करी रोकने के भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। वर्ष 1983-84 में लगभग दो लाख रुपये मूल्य का विदेशी सामान पकड़ा गया था और इसके अनेक अपराधी व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया था।

इस प्रकार मणिपुर राज्य में बीस सूत्री कार्यक्रम की प्रगति के लिए भरसक प्रयत्न किए जा रहे हैं। ☐

लाइब्रेरियन,
पत्र सूचना कार्यालय,
इम्फाल

मात्स्यकी अपनाइए : आय बढ़ाइए

राम शिरोमणि शुक्ल

गांवों में मत्स्यपालन विकास की बड़ी गुंजाइश है। जिस प्रकार खेती की फसलों में दालों की पैदावार के लिए बहुत कम लागत की जरूरत होती है क्योंकि दालों के पौधे जमीन में नाइट्रोजन स्वयं स्थापित कर लेते हैं और इन्हें पानी की भी कम जरूरत होती है। इसी प्रकार मछलियां हमारे देश में खुद ब खुद भी पैदा होती हैं। पूरे देश में पानी बहुतायत से मिलता है और बरसता है जो कि मत्स्य जीवन के लिए सबसे पहली और अहम् जरूरत है। हमारे पानी में वह आवश्यक तत्व बहुतायत से हैं जिनसे मछलियां खूब फलती-फूलती हैं। केवल आवश्यकता है जल को वर्ष भर उपलब्ध रखने की और मत्स्यपालन की उन्नत तकनीक अपनाने की। यदि मत्स्य पालन को गांव के लोग शौक से अपनाएं तो इससे रोजगार के अवसर बढ़ाने, व्यक्तियों और कुक्कुट आदि के लिए पौष्टिक खाद्य उपलब्ध करने और भूमि की उर्वरता बढ़ाने में पर्याप्त योग मिल सकता है।

भारत में मत्स्य का प्रति व्यक्ति अनुमानित उपभोग 1.52 किलोग्राम प्रति वर्ष है। देश में मत्स्य का वार्षिक उत्पादन 24 लाख मीटरी टन से अधिक हो गया है, जिसका लगभग 66 प्रतिशत समुद्र से प्राप्त किया जाता है। देश में पर्याप्त मत्स्य की मांग को पूरा करने के लिए मत्स्य उत्पादन में दस गुनी वृद्धि की आवश्यकता समझी जाती है। इस प्रकार के साधनों की विपुलता को ध्यान में रखते हुए वृद्धि अकाल्पनिक नहीं है। नवीन मत्स्य तकनीकी के द्वारा इस दिशा में कार्य प्रारंभ हो चुका है। जलपोत और विद्युत् शक्ति पोत, देशी नौकाओं एवं मत्स्य नौकाओं का स्थान ग्रहण कर रहे हैं और मत्स्य परिरक्षण और भंडारण के लिए प्रशीतन इकाइयों की स्थापना की गई है।

उपलब्ध सुविधाएं

भारत में मछली के उत्पादन में पिछले कुछ वर्षों से वृद्धि हो रही है। 1951 में कुल मछली उत्पादन 7.52 लाख टन था जो बढ़कर 1980 में 24.24 लाख टन हो गया। समुद्र में मछली पकड़ने के लिए तट रेखा से 320 कि० मी० तक अधिकार क्षेत्र कर देने और इस क्षेत्र में मछली पकड़ने के कार्यों के लिए बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था कर दिए जाने से इस उद्योग के विकास को निरंतर बढ़ावा मिला है। 1980 में मछली का उत्पादन 24.24 लाख टन (अनंतिम आंकड़े) था जिसमें से 14.41 लाख टन समुद्री मछली और 9.83 लाख टन अंतस्थलीय जल स्रोतों से प्राप्त मछली थी। 1980-81 के दौरान 234.82 करोड़ रुपये मूल्य के 75,583 टन समुद्री मछली उत्पादन का निर्यात किया गया। 1981-82 के पहले आठ महीनों में 1980-81 की इसी अवधि की तुलना में समुद्री उत्पादन का 27 प्रतिशत अधिक निर्यात हुआ। मछली पकड़ने की नौकाओं के यंत्रीकरण में प्रगति हुई है। जहां पर पहले ही से बड़ी संख्या में मछली पकड़ने की नौकाएं हैं, वहां यंत्रीकृत नौकाओं की संख्या बहुत कम रखी गई है। आशा की जाती है कि यंत्रीकृत नौकाओं की संख्या जो 1980-81 में 16,151 थी, 1981-82 में बढ़कर 16,969 होने का अनुमान था।

इस समय गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले व्यावसायिक (20 मीटर और उससे अधिक लम्बाई) के जहाजों की संख्या 67 है जिसमें से 62 जहाज पूरी तरह भारतीय कम्पनियों के हैं और 5 जहाज किराए पर लिए गए हैं। गहरे समुद्र में मछलियों को पकड़ने के लिए विभिन्न बड़े और छोटे पत्तनों पर जहाज लगाने और ठहराने की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। गहरे समद्र में मछली पकड़ने वाले मझोले और बड़े आकार के जहाजों के लिए कोचीन, रायचौक और विशाखापत्तनम (प्रथम चरण) के बड़े पत्तनों में मछली पकड़ने के बन्दरगाह विकसित किए गए हैं। बड़े पत्तनों मद्रास और विशाखापत्तनम (द्वितीय चरण), तथा छोटे पत्तनों मालपे, हन्नावर, कोडियाकराई और करंजा में मछली पकड़ने के बन्दरगाहों का निर्माण पूरा होने वाला है। बम्बई के पत्तन में तथा छोटे पत्तनों वेरावल मंगरोल, पोरबंदर, काकिंदा, निजामपत्तनम बोवनपाडू, रत्नागिरि, नीन्दाकारा, नीलेश्वरम, मुनक्का कादबू, चेराबतूर और मंगलौर में मछली पकड़ने के बन्दरगाहों का निर्माण कार्य चल रहा है। गुजरात के वेरावत और मंगरोल, आन्ध्र प्रदेश के काकिंदा, निजापमत्तनम और विशाखापत्तनम (द्वितीय चरण) में परियोजनाएं विश्व बैंक की सहायता से समन्वित समुद्री मत्स्य उद्योग परियोजना के रूप में क्रियान्वित की जा रही हैं। बम्बई के अन्तर्गत 26 ट्रालरों की सहायता से 11 स्थानों में तटों पर और गहरे समुद्र में अन्वेषी मत्स्य पालन परियोजना के सर्वेक्षण का काम किया गया। नए जहाज बहुत बड़े और गहरे जल में भी मछली पकड़ने के काम आ सकते हैं। इस परियोजना के अन्तर्गत 40 फैदम की गहराई तक लगभग 90 प्रतिशत क्षेत्र का सर्वेक्षण पूरा हो गया है।

मत्स्य उत्पादन

मत्स्य एक मूल्यवान एवं सुगमता से प्राप्त खाद्य स्रोत है। अतः मछली पकड़ना और मात्स्यिकी सम्बन्धी खोज कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। इस समय अन्य देशों की अपेक्षा भारत में मत्स्य उत्पादन कम ही है। खोज कार्य के फलस्वरूप मछलियों का उत्पादन बढ़ाकर और मछली पकड़ने के तरीकों में सुधार करके मात्स्यकी को बहुत लाभकारी उद्योग बनाया जा सकता है।

1957-58 के आकलन के अनुसार जबकि भारत का वार्षिक उत्पादन लगभग 11 लाख टन मत्स्य था, इसकी तुलना में जापान में 47 लाख, उत्तरी अमेरिका में 29 लाख, सोवियत रूस में 26 लाख, चीन में 25 लाख, नार्वे में 21 लाख, कनाडा में 10 लाख 60 हजार और ब्रिटेन में 10 लाख 50 हजार टन मत्स्य उत्पादन था। भारत में वार्षिक मत्स्य उत्पादन का विवरण तालिका–1 में दर्शाया गया है।

प्रमुख मात्स्यिकियां

भारत के पूर्वी एवम् पश्चिमी तट की मात्स्यिकियां असाधारण रूप से भिन्न हैं। इस समय समस्त समुद्री मत्स्य के पकड़ने का 75 प्रतिशत से अधिक भाग पश्चिमी तट से आता है। पश्चिमी तट के अधिक मत्स्य उत्पादन का श्रेय इसके जल के महासागरीय गुणों को दिया जाता है। जिसका संवहन तटीय जल की उल्लेखनीय बाढ़ के कारण अधिक अच्छा होता है। भारत की प्रमुख मात्स्यिकियां, जैसे सार्डीन, मैकेरेल तथा झींगे अधिकतर पश्चिमी तट पर ही केन्द्रित हैं। पूर्वी तट पर तथा बंगाल की खाड़ी के भौगोलिक लक्षण पश्चिमी तट से भिन्न हैं, क्योंकि पूर्वी तट पर जल का संवहन कम स्पष्ट है तथा चिल्का और पुलिक जैसी तटीय झीलों और बड़ी नदियों के कारण ज्वारनदीय मात्स्यिकी को कार्यक्षेत्र मिलता है। आंध्र तट तथा उससे उत्तर की ओर कुछ मात्रा में जल की बाढ़ देखी गई है। परन्तु उत्पादन की प्रकृति तथा मात्स्यिकी पश्चिमी तट से भिन्न है। सामान्य रूप से पश्चिमी तट की मात्स्यिकी सितम्बर से फरवरी तक अति उत्पादक होती है तथा इसके बाद मार्च से अगस्त तक का काल कम उत्पादन वाला होता है क्योंकि मानसून में मत्स्य ग्रहण की क्रिया लगभग बन्द रहती है। मार्च से जून के बीच की अवधि में लघु मात्स्यिकियां प्रमुखता प्राप्त करती हैं।

अलग-अलग तटीय क्षेत्रों की मात्सियकी का स्वरूप और रचना काफी भिन्न होती है। जैसे पश्चिमी बंगाल तट पर ग्रहण की जाने वाली मछलियों में सबसे प्रमुख है: सार्डीन, ऐंकोवी और क्लूपिआयड मछलियां। क्लूपिआयड मछलियां उत्तरी आंध्र एवं उड़ीसा तटों पर भी प्रमुख हैं। उड़ने वाली मछलियां (एक्जोसीट्स जातियां) नागापटनम क्षेत्र में पायी जाती हैं। पुलीकट झील क्षेत्र में एक अधिक मूल्यवान मौसमी मात्स्यिकी, फीता मछलियों (ट्राइच्यूरस जातियां) की होती हैं। मछलियां व्यापक रूप से पकड़ी जाती हैं और धूप में सुखाई जाती हैं। तमिलनाडु के आस-पास की मात्स्यिकियां मिली-जुली किस्म की होती हैं। इनमें सबसे लाभप्रद मात्स्यिकी सीर मछलियों (स्कावेरमोरस जातियों) की है। ये कोरोमंडल तट के अधिकांश भागों से बड़ी संख्या में पकड़ी जाती हैं। देवीपटनम एवं कुड्डालोर के बीच के क्षेत्र में साइलरायडें, सियनिडें, रजत-उदर मछलियां तथा शार्क मछलियां मुख्यतः प्राप्त होती हैं। पाक की खाड़ी, छोटी सार्डीनों, रजत-उदर मछलियों, सामान्य श्वेत मत्स्य (लैक्टेरियस एवं अर्ध चंचुको हेमिरैम्फस जातियां) के लिए सबसे अच्छे स्थानों में से है। कन्याकुमारी क्षेत्र में मात्स्यिकी के लक्षण भिन्न हैं। यहां जल-तलीय तथा तटीय पंचों के गिरोहों, जैसे रडर-मछली (लेथराइनस जातियां), शिलापचों (एपिनेफेलस जातियां) इत्यादि का स्थान झुंडों में आने वाली अपतलीय मछलियों (जैसे मैकेरेल तथा सार्डीन) ने ले लिया है। इनके

तालिका—1

भारत में कुल वार्षिक मत्स्य उत्पादन का विवरण

(लाख मीटरी टन में)

	1950-51	1979-80	1980-81	1981-82	1982-83 लक्ष्य	1982-83 प्रत्याशित उपलब्धि	1983-84 लक्ष्य	1984-85 लक्ष्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
समुद्री	5.3	14.9	15.5	14.4	18.6	14.0	14.5	22.0
अंतर्देशीय	2.2	8.5	8.8	9.8	10.7	10.5	10.8	13.0
योग	7.5	23.4	24.3	24.2	29.3	24.5	25.3	35.0

लिए कन्याकुमारी के निकट बैज-तट मछली पकड़ने का अत्यन्त अच्छा स्थल है। श्वेत मत्स्य, रजत-उदर वाली मछलियां तथा कुछ छोटी क्लूपिआयड, जैसे सार्डीन एवं ऐंकोवी भी काफी मात्रा में मिलती हैं।

गुजरात और बम्बई मात्स्यिकी के लिए प्रसिद्ध है। मुख्यतः दक्षिणी गुजरात तट तथा वेरावल, और जाफराबाद प्रमुख मत्स्य ग्रहण केन्द्र है। घोल रावा तथा दादा गुजरात के उत्तरी एवं दक्षिणी दोनों तटों पर विशेषतः पायी जाती हैं। महाराष्ट्र एवं गुजरात के बीच के क्षेत्र के सर्वेक्षण के फलस्वरूप महाजाल द्वारा गहन सागरीय मत्स्य ग्रहण के लिए कुछ उत्पादक स्थलों का पता लगा है जो कि विशेषतः गुजरात के पश्चिम की ओर है। कैम्बे की खाड़ी और बम्बई के उत्तर की तटीय पट्टियों में काठियावाड़ तट के अनेक लक्षण पाए जाते हैं। परन्तु नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के के कारण यहां ज्वारनद मुख्य मात्स्यिकी का भी विकास हुआ है। इन सब क्षेत्रों में बम्बई डक, हारपोडान हरियस अधिकता से पाई जाती हैं।

भारत में बंधित खारे जल की मात्स्यिकी के विकास की संभावनाएं बहुत हैं। यह देश के उपज योग्य खारे जल के साधनों से प्रत्यक्ष है। इन साधनों में ज्वारीय ज्वारनदमुख पश्च जल एवं अनूप सम्मिलित है जो भारत के तटों पर लगभग 5.2 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में फैले हुए हैं। इन जलों से एक प्रकल्पित आकलन के अनुसार प्रतिवर्ष लगभग 300,000 मीटरी टन के उत्पादन का अनुमान है।

मत्स्य पालन

भारत में पोने समुद्र तटों पर एकत्रित किए जाते हैं एवं अवांछित जातियों को छांटकर अलग हटा दिया जाता है। तत्र वे 7 से 9 कि० ग्रा० धारिता की कच्ची मिट्टी के बर्तनों में 440 पोने प्रति कि०ग्रा० समुद्री एवं शुद्ध जल (1:9) में रखे जाते हैं। मत्स्य कृषकों द्वारा पोने खरीदे जाते हैं और सीमेंट से ढकी जल-बंद बांस की टोकरियों में वाहित होते हैं। संग्रहण के 10 दिन के भीतर परिवहन किए जाने वाले पोने परवर्ती पालन में सर्वोत्तम फल देते हैं। छोटे पोने महीन तार की जाली या मच्छरदानी के कपड़े से संभालकर निकाले जाते हैं। एक रस्सी जिसमें ताड़ की पत्तियों के टुकड़े लटके होते हैं (आतंक रेखा) छिछले जल में दो मज़दूरों द्वारा खींची जाती है तथा दो अन्य लोग इस आतंक रेखा के पीछे-पीछे एक कपड़े के टुकड़े को फैलाकर चलते हैं। जिससे आंगुलिक पकड़ में आ जाते हैं। किशोर मत्स्य बहुधा समुद्रीय जल से लगभग शुद्ध जल में अनुकूलन के पूर्व सीधे स्थानान्तरित किए जा सकते हैं।

इंडोनेशिया में तम्बकों में पोने 500 से 750 प्रति हैक्टेयर की दर से संग्रहित किए जाते हैं तथा उत्तर-जीविता की दर केवल 20 से 30 प्रतिशत अनुमानित है। इसको ध्यान में रखते हुए 2,500 पोने सामान्यतः रोपित किए जाते हैं। जिसके तुरन्त बाद कुछ स्थानों पर द्वितीय संग्रहण 4,000 प्रति हैक्टेयर की दर से होता है। पकड़े जाने के बाद चेनास लगभग 8 महीने में 227 से 380 ग्रा० भार ग्रहण कर लेती है। गहरे चिर-स्थायी तालों में मछलियों को 907 से लेकर 3,628 ग्रा० तक भार ग्रहण करने दिया जाता है। इनकी अधिकतम लम्बाई 150 सें० मी० तक हो जाती है। अनुकूल परिस्थितियों में तम्बको में साथ के बढ़ते झींगों के अतिरिक्त 224 से 428 कि० ग्रा० प्रति हैक्टेयर मछली का उत्पादन होता है।

शुद्ध जलीय तथा जीवित मछलियां

शुद्ध जलीय मात्स्यिकी के स्रोत नदियां, नहरें, सिंचाई प्रणालियां, ताल, जलाशयों, झीलें, तालाब, पोखर एवं निचले क्षेत्र हैं। जिनमें पानी स्थायी अथवा अस्थायी रूप से पाया जाता है। भारत में प्रमुख नदियों का जल शुद्ध जलीय मात्स्यिकी का प्रमुख स्रोत है। भारत में संचारित ताल मात्स्यिकियां नहीं है। पश्चिमी बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा के बहुत से गांवों के तालाबों एवं घरेलू तालों में प्रतिवर्ष नदियों से एकत्र किए हुए मिश्रित पोने संग्रह किए जाते हैं। इन स्रोतों से वार्षिक मत्स्य उत्पादन लगभग 900 से 4,250 कि० ग्रा० प्रति हैक्टेयर है। सिम्ब्रैंकिडें और एनाबास, हेटरोपनियुस्टिस, क्लैरियस एवं चन्ना की जातियां ऐसी महत्वपूर्ण मछलियों का समूह है जो जिंदा बेची जाती हैं, विशेषकर पश्चिमी बंगाल एवं हैदराबाद के बाजारों में भारत की सम्पूर्ण बिक्री योग्य स्वच्छ जलीय मत्स्य के लगभग 9.8 प्रतिशत के बराबर है। किन्तु इनका कोई संचालित मत्स्य पालन नहीं किया जाता। ये स्वभाव में परभक्षी होती हैं तथा अर्ध-कक्षीय स्थानों के प्राकृतिक जल में भली-भांति विकसित होती हैं। ये मछलियां जिनमें चन्ना की जातियां अति महत्वपूर्ण हैं अपने उच्च पौष्टिक एवं औषधीय गुणों के कारण सामान्यतः महंगी बिकती हैं। पिछले दस वर्षों में आंध्र के जलों में स्थानीय लोकप्रिय जीवित मछलियां संग्रह की गई हैं। सरकार की सहायता से तमिलनाडु, कर्नाटक एवं केरल के कुछ भागों में किए गए पोनों के वितरण ने भी मछली उत्पादन को बढ़ावा दिया है। ये मछलियां सिंचाई के कुओं एवं छोटे तालों में संग्रहण के लिए विशेषकर उपयुक्त हैं जिनका जल कीचड़दार होता है। और कार्यों के लिए अनुपयुक्त होता है।

भारत सरकार भी मत्स्य अनुसंधान तथा राज्य क्षेत्रीय समुद्र के बाहर के क्षेत्रों में मत्स्य ग्रहण पर विशेष ध्यान देती रही है। 1947 में इसने दो मात्स्यिकी अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना की थी। जो अब संस्थान बना दिए गए हैं। अर्थात् केन्द्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्था, मंडपम कैम्प (दक्षिण भारत) तथा केन्द्रीय अंतर्देशीय मत्स्य अनुसंधान संस्थान बैरकपुर (कलकत्ता) जो क्रमशः समुद्री तथा अंतर्देशीय मात्स्यिकी के अनुसंधान के लिए हैं, एक स्थायी मात्स्यिकी अनुसंधान

समिति, अनुसंधान के लिए ली जाने वाली समस्याओं का तथा अनुसंधान से प्राप्त फलों के उपयोग का समय-समय पर सिंहावलोकन करती है।

अन्तर्देशीय मात्स्यकी संसाधनों का विकास और उपयोग मछुआ विकास एजेन्सियों के जरिए किया जा रहा है। अब तक 108 एजेन्सियों की स्थापना की जा चुकी है और इनके अन्तर्गत कार्प मछली पालन के लिए 18,000 हैक्टेयर जल क्षेत्र लाया गया है जबकि गत वर्ष इनके अन्तर्गत 10,026 हैक्टेयर क्षेत्र था। इस प्रकार क्षेत्र में 80 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अन्तर्देशीय मत्स्य पालन में प्रशिक्षित मछुओं की संख्या 1981–82 में 9,450 थी, जो 1982–83 में बढ़कर 20,500 हो गई। पूर्वी भारत में इस वर्ष डिम्पोना का उत्पादन भारी सूखे से प्रभावित हुआ। अतः सर्दी के मौसम में सामान्य कार्प मछली के प्रजनन और उसके पालन हेतु एक जोरदार अभियान शुरु किया गया। छठी योजना अवधि के दौरान 10 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से इस वर्ष एक राष्ट्रीय डिम्पोना उत्पादन कार्यक्रम की मंजूरी दी गई। इस कार्यक्रम में प्रत्येक 10 हैक्टेयर की 25 हैचरियों में 2,500 लाख डिम्पोना उत्पादन की व्यवस्था है।

उल्लेखनीय है कि विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त राष्ट्रीय अन्तर्देशीय मात्स्यकी परियोजना में भी 27 हैचरियां स्थापित करने का प्रस्ताव है। पहली बार 37 लाख रुपये की अनुमानित लागत से एक डिम्पोना मिनीकिट वितरण कार्यक्रम शुरू किया गया है। भारत सरकार इसके लिए समूची वित्तीय सहायता देगी। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत मत्स्यक उत्पादन कार्यकलापों में भाग लेने के लिए प्रत्येक मछुआ विकास एजेन्सी से 20 प्रगतिशील मत्स्य पालक चुने जाएंगे। अन्तर्देशीय मात्स्यकी विकास का एक अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम, जिसे हाल ही में शुरू किया गया है, खारे जल में मछली पालन से सम्बन्धित है। अत्यधिक लवणीय जल वाले समुद्र तटीय और अन्तर्देशीय दोनों प्रकार के राज्यों में छठी योजना में कुल 10 करोड़ रुपये के परिव्यय से 1,500 हैक्टेयर क्षेत्र विकसित करने का प्रस्ताव है।

सक्रिय मछुओं की मृत्यु अथवा पंगुता होने पर उनके लिए पहली बार एक सामूहिक दुर्घटना बीमा योजना शुरू की गई है। समुद्री मत्स्य क्षेत्र बढ़ाने के लिए वर्ष के दौरान गहरे समुद्र में वाणिज्यिक जलयानों की संख्या 68 से बढ़ाकर 102 कर दी गई है। निकट भविष्य में मद्रास मत्स्यन पत्तन के पूरा होने पर देश में पांच आधुनिक मुख्य मत्स्यन पत्तन हो जाएंगे। लघु मत्स्यन पत्तनों और माल उतारने के छोटे केन्द्रों की संख्या भी 68 से बढ़ाकर 92 की जा रही है। भारतीय समुद्री क्षेत्र में चोरी-छिपे मछली पकड़ने को रोकने के लिए अगस्त, 1982 में सांविधिक नियम अधिसूचित किए गए। केरल, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, और गोवा के अलावा, इस वर्ष उड़ीसा ने भी परम्परागत मछुओं के हितों की रक्षा के लिए विभिन्न श्रेणियों के जलयानों द्वारा मछली पकड़ने को विनियमित बनाने के लिए क़ानून बनाया है। तमिलनाडु के इसी प्रकार के कानून को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल चुकी है।

समन्वेषी मात्स्यकी परियोजना के अन्तर्गत समुद्री जीवंत संसाधनों का सावधानी पूर्वक सर्वेक्षण किया जा रहा है। इस परियोजना के तहत् 68,000 वर्ग किलोमीटर नए क्षेत्रों को लाने का लक्ष्य है। 1982–83 की पहली तीन तिमाहियों में करीब 45,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का सर्वेक्षण किया गया और 17,500 वर्ग किलोमीटर तटीय समुद्री क्षेत्र का पुनः सर्वेक्षण किया गया। परियोजना के जलयानों की संख्या 22 से बढ़ाकर 24 करके बेड़े को मजबूत किया गया। केन्द्रीय नौवहन इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान प्रचालकों तथा अन्य सेवारत अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम और पुनश्चर्या का आयोजन कर रहा है।

मात्स्यिकी के स्रोत एवं मात्स्यिकी के विकास से संबंधित समस्याएं कभी-कभी एक राज्य से दूसरे राज्य में बहुत भिन्न होती हैं। महाराष्ट्र एवं गुजरात में समुद्री तथा स्वच्छ जलीय दोनों मात्स्यिकियां हैं। समुद्र का किनारा 2,253 किलोमीटर से अधिक है। सम्पूर्ण मत्स्य उत्पादन की दृष्टि से एवं विकास कार्यवाहियों की प्रगति को देखते हुए पश्चिमी तट पर मात्स्यिकी की स्थिति श्रेष्ठ है। प्रमुख मत्स्य ग्रहण क्षेत्र हैं: वृहत् बम्बई, थाना, सूरत, ब्रोच, अमरेली, कोलाबा, रतनगिरि एवं कन्नड। इस तट पर पकड़ी गई प्रमुख मछलियां है : सारंगा या श्वेत पाम्फ्रेट (कांड्रोप्लाइटेस चाइनेसिस), घोल या यहूदी मछलियां (सियेना जातियां) डारा या भीमकाय तंतु पंख (पालीडैक्टाइलस इंडिकस), रावाज या भारतीय सैलमन (इल्योथेरोनीमा ट्राडैक्टाइलस), कुपा या टुनिया (युथाइनस जातियां), सुरमई या सेर मछली, बोल या धूसर मुलेट (म्युजिल सिफैलस), बांमिबल या बम्बई डक (हारपोडान नेहेरियस), बंगादेई या मैकेरेल (रैस्ट्-लिजर कनागुता), वाग या सर्पमीन (मुरेनेसांक्स जातियां) एवम् मुंशी या शार्क।

पश्चिमी बंगाल में समुद्री तथा जलीय दोनों मात्स्यिकियां महत्वपूर्ण हैं। पकड़ी जाने वाली समुद्री मछलियां, भेक्ती (लैटिस वैलकेरिफर), हिलसा (हिलसा इलिशा), चंदा (एम्बेसिस नामा) भोला (बेरिलियस वोला), मैकेरेल, बम्बई डक, पाम्फ्रेट, फीता मछलियां, अशल्क मीन, सर्पमीन, शार्क तथा स्केटें मछलियां हैं। केरल की मुख्य मात्स्यिकी, समुद्री मछलियां (मैकेरेल एवं शार्को) की होती हैं तथा भारत के समस्त समुद्री क्रस्टेशिया का लगभग 40 प्रतिशत भाग इस राज्य से प्राप्त होता है। केरल अपने पश्चजल में भी मत्स्य-पालन के लिए विख्यात है जिसमें मुलेटों, मुक्ता धव्वा (इटोप्लस सुराटेंसिस), झींगों एवं दुग्ध मत्स्य (चेनास) का मिश्रित पालन सफलतापूर्वक किया गया है। तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश में समुद्री तथा शुद्ध जलीय दोनों ही मात्स्यिकियां पाई जाती हैं। उड़ने वाली प्रमुख समुद्री मछलियां जो पकड़ी जाती हैं उनमें हैं—तेल सार्डीन (सार्डिनेला लांगीसेप्स), मैकेरेल, रजत उदर, फीता मछलियां, अशल्क मीन एवं सोलें। महाजाल से जो शिकार पकड़े जाते हैं उनमें मुख्यतः तल भक्षक मछलियां होती हैं जैसे रडर मछलियां (लैथराइनस जातियां), स्नैपर (लुटिएनस जातियां),

राक कवई (एपीनेफेलस जातियां), एवं स्पेड मत्स्य (एफिप्पस आर्बिस) मछलियां ।

उड़ीसा राज्य में पकड़ी जाने वाली समुद्री मछलियां, पाम्फ्रेटें, मैकेरल, सार्डीन एवं श्वेत मत्स्य (लैक्टेरियस) हैं, जबकि शुद्ध जलीय मात्स्यिकी में रोहू (लेबियो रोहिता) ले० कालबासु, कतला, सिरहिनस मृगाला एवं अन्य कार्प तथा अशल्क मीन है। कर्नाटक उत्तरी तथा दक्षिणी कन्नड़ की मात्स्यिकी प्रमुख है । इस राज्य में लगभग 483 किलोमीटर का तटीय किनारा है, जिसमें कई महत्वपूर्ण मत्स्य ग्रहण केन्द्र हैं । लगभग 40 प्रकार की समुद्री मछलियां पकड़ी जाती हैं जिनमें सर्वप्रमुख हैं: सार्डीन, मैकेरल एवं शार्क।

उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों में पकड़ी जाने वाली प्रमुख मछलियां हैं कार्प, लेबियो रोहिता, ले० कालबासु, ले० गोनियस, सिरहिनस मृगाला एवं कतला तथा लघु कार्प, मिनी, अशल्क मीन, मुलेटें, मकंटकीय सर्पमीन, फेदर बैक्स एवं ग्लास मत्स्य (एम्बेसिस जातियां) । पहाड़ों की मात्स्यिकी में कुमायुं महासेर (टॉर), हिल ट्राउट (बोरीलियम बोला), असला या कुमायूं ट्राउट तथा शीबोथोरेक्स की अन्य जातियां तथा शीजोथोरेक्स प्रोगस्टस सम्मिलित हैं। इस राज्य में मिरर कार्प (साइप्रिनस कार्पियो स्पेकुलैरिस) एवं दार्जिलिंग महासेर को पहाड़ों पर पालन के लिए तथा गौरामी को मैदानों में पालन के लिए आयात किया है।

ब्रह्मपुत्र नदी में अच्छी मात्स्यिकी है परन्तु असम में इसका उपयोग भली-भांति नहीं किया गया है। नदी की मुख्य मात्स्यिकियां, कार्प, अशल्कमीनों और हिलना (हिलना इलिशा) की है। बिहार के मत्स्य विभाग के पास मत्स्य संग्रहण के लिए तालाब हैं तथा तोपचांची झील में भी मत्स्य कृषि प्रारम्भ की गई है। मत्स्य-पालन के अंतर्गत सम्पूर्ण जल क्षेत्र लगभग 1,400 हैक्टेयर है ।

जम्मू तथा कश्मीर में बहुत से अंडजनन स्थल मालूम हैं। कमी वाले क्षेत्रों में हवाई जहाज द्वारा बीज का परिवहन सम्भव है। ट्राउट मात्स्यिकी का विकास विशेष ध्यान पा रहा है। मध्य प्रदेश मत्स्य विभाग ने बहुत सी प्रदर्शन तथा उत्पादन शाखाओं की स्थापना की है, जिनमें से 1,200 हैक्टेयर भोपाल के सिंचाई तालों में तथा अन्य जलीय संस्थानों के रूप में तथा 352 हैक्टेयर मध्य भारत में था । मध्य भारत भाग में 1.25 लाख पोने संगृहित थे। तालों का उपयोग कार्प पालन में होता है तथा ये स्थानीय रूप से पकड़े हुए तथा आयात किए हुए बीजों द्वारा संगृहित होते हैं। मध्य भारत के अधिकतर पोने लेबियो वंश के होते हैं। इनकी प्रमुख जाति ले० गोनियस है। कुछ स्थानों पर कतला एवं महासेर अत्यधिक संख्या में पाई जाती हैं। कृषकों को पोने सहकारी समितियों द्वारा दिए जाते हैं। इस राज्य के विभागीय तालों से औसतन प्रतिवर्ष 37.32 मीटरी टन मछलियां बाजार में भेजी जाती हैं।

यद्यपि भारत मछली का उत्पादन करने वाला विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है और श्रृम्प मछली का सबसे बड़ा निर्यातक है, तथापि इसे एक ओर अपने 2020 लाख हैक्टेयर जल क्षेत्र में फैले आर्थिक क्षेत्र में मात्स्यिकी संसाधनों का समुचित उपयोग करना है और दूसरी ओर नदियों, नहरों और खारे जल, जलाशयों, तालाबों तथा अन्य जल निकायों में अन्तर्देशीय मात्यिस्की संसाधनों का उपयुक्त विकास करना है। □

542, योजना भवन,
संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

परिश्रम का फल--नाथू का भाग्योदय

घटना उदयपुर जिले के सैरा गांव की है। सैरा में नाथू मोची एक अंधकारमयी जीवन जी रहा था । छोटे से परिवार का दुर्भाग्य । तीन जनों के परिवार में तीनों विकलांग । पिता मानसिक विकलांग, नाथू व उसका छोटा भाई दोनों शारीरिक विकलांग। पूरा बोझ नाथू के कमजोर कंधों पर था ।

नाथू चाहे विकलांग था लेकिन उसमें दृढ़ निश्चय की कमी नहीं थी। घिसर-घिसर कर स्थानीय बस स्टैण्ड पहुंच जाता और वहां जूतों की पालिश और मरम्मत कर जो कुछ कमा लेता उससे जैसे-तैसे घर का गुजारा चलाता । पर उसके पास मरम्मत का आवश्यक पूरा सामान भी नहीं था ।

सैरा में स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर के स्थानीय शाखा प्रबंधक, श्री ए० एल० डांगी शाम को सैर पर जाते हुए नाथू को देखा करते थे । श्री डांगी ने नाथू की दयनीय स्थिति देखकर उससे बातचीत की । फलस्वरूप उसे बैंक से 2,000 रु० का ऋण दिलवाया । जिसमें से 40 प्रतिशत अनुदान के रूप में व शेष आसान किश्तों में अदा करना था ।

श्री डांगी ने उसे ऋण की रकम दिलाकर ही संतोष नहीं किया बल्कि उसे अपने प्रयासों के द्वारा लकड़ी का खोखा बनवाकर, चमड़ा व आवश्यक उपकरण दिलवाए ।

अब नाथू अपनी दूकान पर अकेला ही नहीं जाता वरन् उसका छोटा विकलांग भाई भी उसके साथ होता है । नाथू जूतों की पालिश व मरम्मत के अलावा नए जूते भी बनाने लगा है । कठोर परिश्रम के पश्चात आज उसे इतनी आमदनी होती है कि वह बैंक की नियमित किश्तें चुकाने के पश्चात परिवार का खर्चा आसानी से चला रहा है तथा उसने अपने भविष्य की सुरक्षा के लिए 10 रु० महीने का अनिवार्य जमा खाता भी बैंक में खोल लिया है। यह सब नाथू के परिश्रम का फल है। □

केन्द्र के समाचार

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत रोजगार सृजन

योजना आयोग ने वर्ष 1984-85 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत 32 करोड़ 17 लाख 14 हजार श्रम दिवसों के बराबर रोजगार पैदा करने के लक्ष्य को अपनी मंजूरी दे दी है। कार्यक्रम के लिए केन्द्र द्वारा 230 करोड़ रु० की राशि आवंटित की गई है और राज्यों को समान अंशदान के आधार पर इतनी ही राशि उपलब्ध करानी होगी। अब तक प्राप्त सूचनाओं के अनुसार वर्ष 1983-84 के दौरान मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और गुजरात के कार्य निष्पादन में उल्लेखनीय सुधार होने के साथ 29 करोड़ 64 लाख 63 हजार श्रम दिवसों के बराबर नए रोजगार पैदा किए गए। केन्द्र शासित प्रदेशों में से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश तथा गोआ, दमन एवं दीव में क्रमश: 4 लाख 16 हजार, 4 लाख 41 हजार एवं 4 लाख 56 हजार श्रम दिवसों के नए रोजगार दर्ज किए गए।

स्व-रोजगार हेतु ग्रामीण युवक प्रशिक्षण कार्य-क्रम की प्रगति

स्व-रोजगार के लिए ग्रामीण युवक प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत युवकों को प्रशिक्षण देने में उत्तर प्रदेश सबसे आगे रहा। नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 31448 युवकों ने अपना प्रशिक्षण पूरा कर लिया है तथा 21224 युवकों ने अपना काम शुरू कर लिया है। तमिलनाडु का दूसरा स्थान रहा जहां 30971 युवकों ने अपना प्रशिक्षण पूरा किया तथा 15830 युवकों ने अपना काम शुरू किया।

बिहार में ग्रामीण भूमिहीन रोजगार कार्यक्रम

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम पर केन्द्रीय समिति ने, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत बिहार में दो सड़क परियोजनाओं की स्वीकृति दे दी है। पहली परियोजना में 435 श्रम कार्य हैं जिनमें उत्तरी बिहार के 16 जिलों में, 17 करोड़ 33 लाख (लगभग) रुपयों की अनुमानित लागत से 1229.5 किलोमीटर लम्बी, गांवों को जोड़ने वाली सड़कों का निर्माण शामिल है। दूसरी परियोजना के तहत, 259 श्रम कार्य होते हैं, जिनमें दक्षिणी बिहार के 11 जिलों में 10 करोड़ 20 लाख रुपयों की अनुमानित व्यय से 698.25 किलोमीटर लम्बी, गांवों को जोड़ने वाली सड़कों का निर्माण होता है।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर मूल्यांकन अध्ययन

योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन द्वारा किए गए मूल्यांकन की प्राथमिकता रिपोर्ट के अनुसार समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम गांवों में स्थापित हो चुका है और इसके द्वारा अनेक निर्धन और सुपात्र परिवारों को लाभ मिल रहा है।

गुजरात सरकार द्वारा 1982 में आयोजित अध्ययन के अनुसार 194 खंडों में सहायता प्राप्त 1892 परिवारों में से 8.25 प्रतिशत परिवारों की आय 3,500 रुपयों से भी अधिक बढ़ी। केरल के राज्य योजना बोर्ड ने समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का मूल्यांकन करवाया। प्राप्त तथ्यों में से एक यह है कि लाभ-भोगियों का एक बड़ा भाग भूमिहीन मजदूरों का है। अतिरिक्त आय के विषय में रिपोर्ट के अनुसार 70 प्रतिशत लाभभोगियों को अतिरिक्त आय हुई। 18.6 प्रतिशत लाभभोगियों ने गरीबी की सीमा रेखा पार कर ली है। मध्य प्रदेश में 10 प्रतिशत लाभ-भोगियों पर एक सर्वेक्षण किया गया है। 36 जिलों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, वस्तुत: सर्वेक्षण किए गए 7641 लाभभोगियों में से 6123 लाभभोगियों की वार्षिक आय में वृद्धि हुई। इस मूल्यांकन के अनुसार तमिलनाडु के आठ जिलों में वर्ष 1980-81 में 40 प्रतिशत लाभ भोगियों की सहायता की गई तथा वर्ष 1981-82 में सहायता प्राप्त परिवारों में से 29 प्रतिशत परिवार अगस्त, 1982 तक गरीबी की सीमा रेखा को पार कर चुके थे।

"ट्राइसेम" कार्यक्रम की प्रगति

स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षण देने की राष्ट्रीय योजना 15 अगस्त, 1979 को शुरू की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण युवकों को अपना निजी रोजगार शुरू करने के लिए आवश्यक दक्षता और प्रौद्योगिकी का प्रशिक्षण देना है।

ट्राइसेम योजना का वार्षिक लक्ष्य लगभग 2 लाख ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षण देना है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के एक अभिन्न अंग के रूप में वर्ष 1983-84 में इस योजना के अन्तर्गत आशाप्रद परिणाम प्राप्त किए गए। इस अवधि में 1,51,617 ग्रामीण युवकों ने अपना प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा किया तथा 88,615 प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे और 80,483 युवकों ने सफलतापूर्वक अपना रोजगार शुरू किया।

उड़ीसा में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की प्रगति

उड़ीसा में 31 दिसम्बर, 1983 को समाप्त अवधि के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम में प्रयुक्त खाद्यान्न की लागत सहित 37 करोड़ 36 लाख रुपये का उपयोग किया गया। यह कार्यक्रम चालू पंचवर्षीय योजना में क्रियान्वित किए जा रहे संशोधित 20-सूत्री कार्यक्रम का एक अंग है। इस कार्यक्रम पर आने वाले व्यय को केन्द्र तथा राज्य सरकारें आधा-आधा वहन कर रही हैं।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत 57 हजार मी० टन खाद्यान्न का उपयोग हुआ। इस कार्यक्रम के तहत 4 करोड़ 71 लाख श्रम दिवस का रोजगार जटाया गया।

यह कार्यक्रम कृषि श्रमिकों व सीमान्त किसानों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम में फसल का काम कम होने के दिनों में अनुसूचित व जनजाति के परिवारों को सहायता देने पर बल दिया जाता है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के माध्यम से 78,187 हैक्टेयर भूमि में वृक्ष लगाने, 4,021 ग्रामीण पोखर बनाने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 23,752 किं० मी० सड़कें बनाने में सहायता दी गई है। उड़ीसा में इस कार्यक्रम के तहत 12,717 हैक्टेयर भूमि में लघु सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं और 1,461 पुलियां तथा नालियां बनाई गईं।

भूमि के कटाव को रोकने के लिए नदियों पर 473 कि० मी० तटबन्धों का निर्माण इस कार्यक्रम की अन्य प्रमुख उपलब्धि है। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के 2567 परिवारों को पेयजल के लिए कुएं तथा सामुदायिक आवास उपलब्ध कराए गए।

राज्य में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण लोगों के कल्याण के लिए विद्यालय, भवन, पंचायतघर तथा सामुदायिक केन्द्र खोले गए।

ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जल के लिए 9 राज्यों को केन्द्रीय सहायता

निर्माण एवं आवास मंत्रालय ने केन्द्र द्वारा प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत योजनाओं को पूरा करने के लिए नौ राज्यों को सहायता अनुदान के रूप में 38 करोड़ 67 लाख रुपये की धनराशि आवंटित की है। यह राशि इन राज्यों को वर्ष 1984-85 में दी जाने वाली सहायता अनुदान राशि की पहली किश्त है।

जिन राज्यों को यह सहायता अनुदान दिया गया है वे इस प्रकार हैं:—

आंध्र प्रदेश (370 लाख रु०), असम (490 लाख रु०), बिहार (520 लाख रु०), गुजरात (250 लाख रु०), हरियाणा (180 लाख रु०), हिमाचल प्रदेश (188 लाख रु०), केरल (560 लाख रु०), मध्य प्रदेश (834 लाख रु०) तथा महाराष्ट्र (475 लाख रु०)।

वर्ष 1984-85 में इन राज्यों के लिए सामान्य योजना प्रावधान इस प्रकार है:—आंध्र प्रदेश (743.23 लाख रु०), असम (981.03 लाख रु०), बिहार (1046.10 लाख रु०), गुजरात (500.74 लाख रु०), हरियाणा (364.70 लाख रु०), हिमाचल प्रदेश (378.90 लाख रु०), केरल (1121.30 लाख रु०), मध्य प्रदेश (1669.56 लाख रु०) तथा महाराष्ट्र (975.40 लाख रु०)।

वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान इन राज्यों के लिए जिन समस्या-ग्रस्त गांवों में काम किया जाना है उनके लक्ष्य इस प्रकार हैं:—आंध्र प्रदेश—1498, असम—2386, बिहार—3700, गुजरात—1650, हरियाणा—650, हिमाचल प्रदेश—670, केरल—224, मध्य प्रदेश—2560 तथा महाराष्ट्र—3039।

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण सड़कें

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के प्रमख उद्देश्यों में से एक है ग्रामीण सड़कों का विकास। यह न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत हाथ में लिया गया एक कार्यक्रम है और छठी योजना में इसके लिए 1164.90 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। छठी योजना में 1500 या अधिक की जनसंख्या वाले सभी तथा 1000 से 1500 की जनसंख्या वाले 50 प्रतिशत गांवों को सभी मौसमों में इस्तेमाल की जा सकने योग्य सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है।

वर्ष 1983-84 का वास्तविक लक्ष्य 1500 अथवा अधिक की जनसंख्या वाले 1642 गांवों, 1000 से 1500 तक की जनसंख्या वाले 761 गांवों तथा 1000 से कम जनसंख्या वाले 1806 गांवों को ऐसी ग्रामीण सड़कों से जोड़ना था। प्राप्त रिपोर्टों से ज्ञात हुआ है कि 1500 तथा अधिक और 1000 तक की जनसंख्या के गांवों के वर्ग में लक्ष्य से अधिक कार्य हुआ है। 1000 से 1500 की जनसंख्या वाले 716 गांवों को सभी मौसमों में इस्तेमाल हो सकने योग्य सड़कों से जोड़ा गया।

छोटे एवं सीमान्त किसानों के लाभ के लिए ग्रामीण गोदाम योजना

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ग्रामीण क्षेत्रों में भंडारण सुविधाओं की अपर्याप्तता समाप्त करने के लिए ग्रामीण गोदामों का राष्ट्रीय ग्रिड बनाने की योजना लागू कर दी है। इस योजना में छोटे एवं सीमान्त किसानों को उनके खेतों के निकट भंडारण सुविधाएं दी जाती हैं। ग्राम स्तर पर 20 लाख मी० टन अनाज की अतिरिक्त भंडारण क्षमता बनाना भी इस योजना का लक्ष्य है। सहकारी समितियां, विपणन समितियां एवं विभिन्न राज्य भंडारागार निगम इसे लागू करने वाली एजेंसियां हैं। ग्रामीण गोदामों के निर्माण पर होने वाले व्यय का 50 प्रतिशत केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा दी गई अनुदान सहायता से पूरा किया जाता है तथा शेष 50 प्रतिशत राशि, लागू करने वाली एजेंसियों, व्यावसायिक बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेती हैं। गोदामों की क्षमता 200 मी० टन से 1000 मी० टन तक है।

ये गोदाम खाद्यान्नों एवं फसलों, सब्जियों आदि के भंडारण की आवश्यकता पूरी करेंगे। इन गोदामों में उर्वरक एवं बीज भी रखे जा सकेंगे।

पोषाहार कार्यक्रमों से ग्रामीण क्षेत्रों को और अधिक लाभ

पिछले वित्त वर्ष के दौरान, केन्द्रीय खाद्य विभाग के खाद्य एवं पोषाहार बोर्ड द्वारा आयोजित कई पोषाहार विस्तार कार्यक्रमों से आदिवासी क्षेत्रों के और अधिक लोगों विशेषकर गृहणियों को लाभ हुआ है। देश के विभिन्न भागों में स्थित बोर्ड की चलती फिरती विस्तार इकाइयों ने 1983-84 में सस्ती खाद्य वस्तुओं से पोषाहार तैयार करने के वैज्ञानिक प्रदर्शन, प्रदर्शनियों, फिल्म आदि के 22,350 कार्यक्रम आयोजित किए जबकि पिछले वर्ष 19,455 कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। अधिकांश कार्यक्रम राज्य सरकारों और गैर-सरकारी संगठनों के सहयोग से आयोजित किए गए। इन पोषाहार कार्यक्रमों से वर्ष 1982-83 में 6 लाख 70 हजार लोग लाभान्वित हुए जबकि इसकी तुलना में वर्ष 1983-84 में 6 लाख 80 हजार लोग लाभान्वित हुए। उनमें से अनुसूचित जाति व जनजातियों के लोगों की संख्या वर्ष 1982-83 में 2 लाख 24 हजार थी, जबकि इसकी तुलना में 1983-84 में यह संख्या 2 लाख 87 हजार हो गई। चलती फिरती इकाइयां घर-घर जाकर गृहणियों को वास्तविक रूप से प्रयोग करके दिखाकर पोषाहार के महत्व को समझने के कार्य में संलग्न हैं। □

सम्पादकीय

(आवरण पृष्ठ 2 का शेषांश)

वांछित फेरबदल योजना आयोग को ही सुझाना और कराना होगा। उससे ज्यादा अधिकार और सार्वदेशिक प्रतिनिधित्व प्राप्त और कौन सा संगठन हो सकता है। वह राष्ट्रीय जीवन के हर क्षेत्र के लिए इस प्रकार की नीति निर्धारण करने के लिए सक्षम है जिससे त्वरित विकास हो, जनसंख्या पर नियन्त्रण हो, गरीबी का अविलम्ब निवारण हो और कार्यान्विती की प्रक्रिया में ईमानदारी और निष्ठा के सिवा और कुछ भी न रहे।

अब तक का तजुर्बा स्पष्ट संकेत कर रहा है कि सार्वजनिक संगठन, प्रतिष्ठान या एर्जेसियों ने देश की सुरक्षा और विकास तथा गरीबी हटाने में सर्वश्रेष्ठ भूमिका निभाई है। इनके अभाव में कभी भी देश न तो इतनी तरक्की करता और न गरीबी के प्रयत्नों की शुरूआत ही की जा सकती।

गांवों में व्याप्त निर्धनता निवारण तथा ग्रामीण अर्थ–व्यवस्था के पूर्ण विकास सम्बन्धी एक यह फेरबदल कारगर सिद्ध हो सकती है कि बल निजी सहायता पर न होकर गांवों में विभिन्न क्षेत्रों में सार्वजनिक, सामूहिक तथा सहकारी प्रतिष्ठानों की स्थापना पर हो। कई ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें गरीबी निवारण का यह कार्य सार्वजनिक सम्पत्ति निर्माण के रूप में अब भी चल रहा है जैसे विभिन्न प्रकार के वानिकी कार्यक्रम। किन्तु ऐसे कार्यों की सफलता, उपयुक्त संख्या में देख–रेख सम्बन्धी कर्मियों की नियुक्ति के अभाव में खटाई में न पड़ने दी जानी चाहिए।

लगभग हर गांवों में तालाब होता है। कुछ राज्यों को छोड़कर अधिकांश गांवों में तालाब का पानी गन्दा तथा अचल होता है। तालाब और उसके आसपास के क्षेत्र को विविध रूपों में सार्वजनिक रूप से आर्थिक और मनोरंजन कारी रमणीक स्थलों में बिना किसी बाधा के परिवर्तित किया जा सकता है। इसको किसी बहते जल स्रोत से वहाव के ऊपरी और निचली तरफ जोड़कर स्वच्छ पानी के आकार में बदला जा सकता है। इसके एक भाग को मछली पालन केन्द्र के रूप में विकसित किया जा सकता है। इसके समीप मधुमक्खी–पालन का केन्द्र विकसित किया जा सकता है। इसके एक भाग में ग्रामीण तैराकी केन्द्र विकसित हो सकता है।

दुग्ध उत्पादन केन्द्र, पूरे गांव का भंडारण केन्द्र, ग्रामीण आपूर्ति केन्द्र, कुकुट पालन केन्द्र, सूअर पालन केन्द्र, रेशम ककून उत्पादन केन्द्र आदि अनेक ऐसे सार्वजनिक आर्थिक प्रतिष्ठान हो सकते हैं जिन्हें सबसे बड़े भूस्वामियों से बहुजन हिताय भूमि लेकर अविलम्ब और अबाध रूप से शुरू किया जा सकता है। इस तरह वित्त का भ्रष्ट और अनुचित प्रयोग नहीं होगा। कामगारों को पूरा पगार और रोजमर्राह प्रयोग की वस्तुएं लगातार मिलेंगी और गांव के वातावरण में भी शुद्धता आएगी, क्योंकि काम धंधों के स्थान निवास स्थानों से अलग होने से उनके फलस्वरूप होने वाला कूड़ा-कचरा अलग से अलग ही निपटता रहेगा। □

मत्स्य पालन उद्योग :

सफलता के नए आयाम

—विनोद गुप्ता

हमारा देश प्राकृतिक संसाधनों से सम्पन्न है और देश में जलाशयों की भी कमी नहीं है। यहां 6100 किलोमीटर लंबे समुद्री तट के अलावा 29000 किलोमीटर लंबी नदियां तथा सहायक नदियां, 30 लाख हैक्टेयर जलाशय, 16 लाख हैक्टेयर तालाब और पोखर एवं 14 लाख हैक्टेयर खारे पानी वाले क्षेत्र उपलब्ध हैं। ये क्षेत्र न केवल सिंचाई और बिजली पैदा करने के लिए उपयोगी हैं, बल्कि उन में मत्स्य पालन का व्यवसाय अपनाकर इसे रोजगार का अच्छा जरिया बनाया जा सकता है।

वर्तमान में मत्स्य पालन मछुओं का मुख्य व्यवसाय है और बहुत से किसान इसे सहायक धंधे के रूप में अपनाए हुए हैं। किन्तु आज भी मछली पालन और मछली पकड़ने का कार्य परंपरागत रूप से हो रहा है। यदि मत्स्य पालन में नई तकनीक का उपयोग किया जाए तो इस से उत्पादन में भारी वृद्धि हो सकती है।

यह प्रसन्नता की बात है कि पिछले कुछ वर्षों से मछली पालन उद्योग की उल्लेखनीय प्रगति हो रही है और परिणामस्वरूप हमें दुर्लभ विदेशी मुद्रा भी इसके निर्यात से प्राप्त हो रही है। हमारे यहां मछली पालन के दो क्षेत्र हैं। पहला समुद्र और दूसरा अंतःस्थलीय जल क्षेत्र। समुद्र से मछली उत्पादन अधिक प्राप्त होता है और अंतःस्थलीय स्रोतों से कम। हाल ही के वर्षों में खारे पानी में मछली पकड़ने की तकनीक का उल्लेखनीय विकास हुआ है।

समुद्र में मछली पकड़ने के लिए तट रेखा से 320 किलोमीटर तक अधिकार क्षेत्र कर देने और इस क्षेत्र में मछली पकड़ने के कार्यों के लिए बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था कर दिए जाने से इस उद्योग के विकास को निरन्तर गति मिल रही है।

मत्स्य पालन उद्योग का विकास किस कदर हुआ है उस का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 1951 में कुल मछली का उत्पादन जहां केवल 7.52 लाख टन था वहां 1981-82 में बढ़कर यह 27 लाख टन हो गया था। जिसमें 17 लाख टन समुद्री मछली और 10 लाख टन अंतःस्थलीय जल स्रोतों से प्राप्त मछली थी।

मछली पालन उद्योग को मछली और मछली से बने खाद्य पदार्थों के निर्यात से भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा भी प्राप्त होती है। 1950-51 में इसका 246 लाख रुपये का निर्यात किया गया था जबकि 1981-82 में इसका निर्यात मूल्य बढ़कर 270 करोड़ रुपये पर पहुंच गया था। निर्यात में होने वाली वृद्धि को तालिका में दर्शाया गया है।

तालिका

मछली और उससे बने पदार्थों का निर्यात

वर्ष	निर्यात (लाख रु०)
1950-51	246
1965-66	659
1970-71	3054
1973-74	8924
1974-75	6617
1975-76	12656
1976-77	18025
1977-78	17433
1978-79	22828
1979-80	25340
1980-81	21700
1981-82	27000

समुद्री मछलियां पकड़ने के लिए विभिन्न बड़े और छोटे बंदरगाहों पर जहाज लगाने और ठहराने की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। मछली पकड़ने के बंदरगाह, जिनमें छोटे और मझोले आकार के जहाज आ-जा सकते हैं विकसित किए गए हैं तथा गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले मझोले और बड़े आकार के जहाजों के लिए भी बड़े बंदरगाहों में मछली पकड़ने के बंदरगाह प्रथम चरण में विकसित किए गए हैं और द्वितीय चरण में बड़े तथा छोटे बंदरगाहों में मछली पकड़ने के बंदरगाहों का निर्माण पूरा होने को है। समुद्री-मछलियां पकड़ने के कार्य को बढ़ावा देने के लिए तमिलनाडु के चिन्नामुन्तम, वालोनोक्कम और पश्चिम बंगाल के डीगा में मछली पकड़ने के नए बंदरगाहों को हाल ही में स्वीकृति दी गई है।

इस समय गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले व्यवसायिक जहाजों की संख्या 67 है जिनमें से 62 जहाज पूरी तरह भारतीय कंपनियों के हैं तथा 5 जहाज किराए से लिए गए हैं। मछली पकड़ने की नौकाओं के पंजीकरण कार्यक्रम को लागू करने से पंजीकृत नौकाओं की संख्या वर्तमान में 18 हजार के आस-पास हो गई है।

अप्रैल 1980 से अंतःस्थलीय मत्स्य पालन के बारे में विश्व बैंक की एक योजना चल रही है जो मार्च 1985 तक की अवधि के लिए है। इस योजना से पांच राज्यों में 1.17 लाख हैक्टेयर जल क्षेत्र विकसित किया जा रहा है। इस समय देश में 44 मत्स्य पालक विकास

एजेंसियां हैं जो अब तक 7,500 हैक्टेयर जल क्षेत्र को सघन मत्स्य पालन के अंतर्गत ले आई हैं।

मछलीपालन संबंधी प्रशिक्षण सुविधाएं बंबई के केन्द्रीय मछली पालन शिक्षा संस्थान और इसकी बैरकपुर शाखा अंतःस्थलीय मछली पालन प्रशिक्षण केन्द्र और आगरा स्थित क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र में उपलब्ध है। हैदराबाद में भी एक केन्द्रीय मत्स्य पालन केन्द्र चल रहा है।

वैज्ञानिकों ने मछली पालन तकनीक में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस नई तकनीक से मछली उत्पादन में कई गुना वृद्धि हो जाएगी जिससे 10 लाख ग्रामीण जनता को रोजगार मिल सकेगा।

देश के मछली पालन केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित नई तकनीक के अनुसार गंदे जल को प्रदूषण रहित किया जाता है और बाद में जल को स्वच्छ कर एक अन्य तालाब में छोड़ा जाता है। इस नए जल में मछली की कार्प्स और विशाल नामक मछली को विशेष तरीके से पाला जाता है। कार्प्स को पालने के लिए साल भर छली का अंडा उपलब्ध रहेगा। इसके अलावा वैज्ञानिकों ने पहली बार विशाल स्वच्छ जल झींगा पालन तकनीक भी विकसित की है। इस का वजन केवल 6 मास में 150 से 200 ग्राम हो जाता है।

इस नई तकनीक से मछली बहुत शीघ्र बड़ी हो जाती है और उस का वजन भी काफी होता है। नई विधि से प्रति वर्ष 4 टन प्रति हैक्टेयर की दर से कम से कम 40 टन मछली प्रति वर्ष प्राप्त की जा सकती है। इस समय अंतःस्थलीय स्रोतों से केवल 10 लाख टन मछली का उत्पादन हो रहा है। इस नई विधि से मछली का उत्पादन प्रति वर्ष करोड़ों टन होने की आशा है।☐

प्राध्यापक,
अर्थ-शास्त्र विभाग,
शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
बड़वानी 451551 (म. प्र.)

हाथ-हाथ

रामकुमार आत्रेय 'प्रभाकर'

वे हाथ
वास्तव में तीर्थ होते हैं
जो कुआं खोद कर
दूसरों को जलामृत पिलाते हैं,
धरती को अन्नगर्भा बना कर
लोगों के उदर की आग बुझाते हैं
या किसी बीहड़ में
झाड़-झंखाड़ काट कर
मिट्टी खोद कर पथ बनाते हैं
उन्हें छूने मात्र से ही
तीर्थ स्नान का पुण्य होता है।
और वे हाथ
किसी इन्सान के हाथ नहीं
सचमच भगवान के हाथ होते हैं
जो खुद की चिन्ता किए बिना
किसी कोढ़ी के घाव धोते हैं
मरहम लगाते हैं,
उन्हें छूना
ईश्वर का छूना होता है।
मगर वे हाथ
एक हैवान के हाथ होते हैं
जो किसी चहचहाती चिड़िया के
पंख कुतर देते हैं
हंसते-हंसते किसी कपोती की
गर्दन मरोड़ देते हैं
या जो कि पलीता लगा कर
किसी पुल को
अथवा किसी सभा भवन को उड़ा देते हैं,
उन्हें छूना मानों विष-पान होता है।
सचमुच
हाथ-हाथ में बड़ा फर्क होता है।
कोई हाथ नर्क तो
कोई हाथ स्वर्ग का स्पर्श देता है।

साहित्य कुटीर,
मु० पो० करोड़ा,
जिला कुरुक्षेत्र
हरियाणा-132043।

आर० एन०/708/57
डाक-तार पंजीकरण संख्या : डी(डी एन) 98
पूर्व भुगतान के बिना सिविल लाइन्स डाकघर, दिल्ली में डाक में डालने की अनुमति (लाइसेंस) : यू (डी एन)-55

RN/708/57
P & T Regd. No. D(DN) 98
Licenced under U (DN)-55
to post without pre-payment at Civil Lines Post Office, Delhi.

गांवों के तालाब मात्स्यकी केन्द्रों व रमणीक स्थलों में परिवर्तित

निदेशक, प्रकाशन विभाग, पटियाला हाउस, नई दिल्ली-110001 द्वारा प्रकाशित और प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित।